

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 1079/2024**

**In the matter of: -**

Sandeep Kasar

Applicant


Versus

State of Chhattisgarh

Respondent

**Index**

Sr. No.	Particulars	Page no.
1.	<b>Joint Committee Report</b> in compliance with the order dated 07.11.2024 of Hon'ble NGT(PB) in the O.A No.1079 of 2024.	1-27
2.	<b>Annexure- 1</b> A copy of Hon'ble NGT order dated 07.11.2024, in O.A No.1079/2024.	28-29
3.	<b>Annexure- 2</b> A copy of Committee constitution letter dated 25.11.2024.	30
4.	<b>Annexure-3</b> A copy of Attendance list of participants.	31
5.	<b>Annexure-4</b> A copy of Permissions accorded by the District Administration for tailing disposal.	31-53
6.	<b>Annexure-5</b> A copy of CG mining Department letter dated 30.6.2022.	54-55
7.	<b>Annexure-6</b> A copy of Procedure adopted for tailing disposal.	56
8.	<b>Annexure-7</b> A copy of Chhattisgarh Mining Department Notification dated 06.10.2018.	57-61
9.	<b>Annexure-8</b> A copy of Analytical Report of Tailing waste.	62
10.	<b>Annexure-9</b> A copy of Reply of Chhattisgarh State Agriculture Department, Balod.	63-65
11.	<b>Annexure-10</b> A copy of Water balance of plant.	66
12.	<b>Annexure-11</b> A copy of Analysis report of water samples.	67-72
13.	<b>Annexure-12</b> A copy of CECB letter regarding raw material transportation dated 26.6.2024.	73-75
14.	<b>Annexure-13</b> A copy of Analysis report of Air samples.	76-79
15.	<b>Annexure-14</b> A copy of CAAQMS data of unit.	80-83
16.	<b>Annexure-15</b> A copy of Reply of Chhattisgarh State Health Department, Balod	84
17.	<b>Annexure-16</b> A copy of Representation given by local residents.	85-89

  
**Filed by Adv. Soni Singh**  
**On behalf of Central Pollution Control Board**  
**A-14, Nizamuddin East, New Delhi-110013**  
**Ph 01146502980**  
**E: [vga@vgalegal.com](mailto:vga@vgalegal.com)**

Place: Delhi.  
Dated:19.12.2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 1079 OF 2024 (PB)**

**IN THE MATTER OF:**

Sandeep Kasar

Applicant

Versus

State of Chhattisgarh

Respondent

**REPORT OF THE JOINT COMMITTEE CONSTITUTED IN  
COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 07.11.2024 IN THE  
O.A. NO. 1079 OF 2024 IN THE MATTER OF SANDEEP KASAR  
VERSUS STATE OF CHHATTISGARH BEFORE THE HON'BLE  
NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW  
DELHI.**



**Dated 12<sup>th</sup> December, 2024**

## INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	- Joint Committee report in compliance with the order dated 07.11.2024 of Hon'ble NGT(PB) in the O.A. No.1079 of 2024	4-19
2.	- Photograph of the visit	20-27
3.	<b>Annexure 1</b> Copy of the Hon'ble NGT Order dated 07.11.2024	28-29
4.	<b>Annexure 2</b> Committee constitution letter dated 25.11.2024	30
5.	<b>Annexure 3</b> Attendance list of participants	31
6.	<b>Annexure 4</b> Permissions accorded by the District Administration for tailing disposal	32-53
7.	<b>Annexure 5</b> CG mining Department letter dated 30.6.2022	54-55
8.	<b>Annexure 6</b> Procedure adopted for tailing disposal	56
9.	<b>Annexure 7</b> CG Mining Department Notification dated 06.10.2018	57-61
10.	<b>Annexure 8</b> Analytical Report of Tailing waste	62
11.	<b>Annexure 9</b> Reply of Chhattisgarh State Agriculture Department, Balod	63-65
12.	<b>Annexure 10</b> Water balance of plant	66
13.	<b>Annexure 11</b> Analysis report of water samples	67-72
14.	<b>Annexure 12</b> CECB letter regarding raw material transportation dated 26.6.2024 of	73-75
15.	<b>Annexure 13</b> Analysis report of Air samples	76-79
16.	<b>Annexure 14</b> CAAQMS data of unit	80-83
17.	<b>Annexure 15</b> Reply of Chhattisgarh State Health Department, Balod	84
18.	<b>Annexure 16</b> Representation given by local residents	85-89

## Glossary

APCD	Air Pollution Control Device
AAQ	Ambient Air Quality
BOD	Biochemical oxygen demand
CAAQMS	Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station
CECB	Chhattisgarh Environment Conservation Board
COD	Chemical Oxygen Demand
CPCB	Central Pollution Control Board
CSR	Corporate Social Responsibility
CTO	Consent To Operate
EC	Environmental Clearance
Ha	Hectare
KLD	Kilo Liter Daily
MoEF&CC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MM	Mili Meter
MT	Metric Ton
MTPA	Million Ton Per Annum
NAAQM	National Ambient Air Quality Monitoring
NOC	No Objection Certificate
SoP	Standard Operating Procedure
SPM	Suspended Particulate Matter
TDS	Total Dissolved Solids
ToR	Term of Reference

**Report of the Joint Committee constituted in compliance with the Order dated 07.11.2024 in the O.A. No. 1079 of 2024 in the matter of Sandeep Kasar Versus State of Chhattisgarh before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.**

**1. Background:**

The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi took cognizance of the present case based on the letter petition dated 30.12.2023 of Shri. Sandeep Kasar, resident of Dondilohara district Balod of Chhattisgarh and the same has been registered as O.A. No.1079 of 2024. In the above matter, Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi vide its Order dated 07.11.2024 constituted a Joint Committee comprising of (i) District Magistrate, Balod (ii) Chhattisgarh State Pollution Control Board (iii) Central Pollution Control Board and (iv) Integrated Regional Office of MoEF&CC, Raipur, with the direction of the Committee to submit factual report within six weeks. Further, in the above said Order dated 07.11.2024, Hon'ble NGT appointed the Central Pollution Control Board as nodal agency for coordination and compliance. Copy of the order dated 07.11.2024 of Hon'ble NGT is enclosed as **Annexure-1**.

**2. Constitution of Joint Committee:**

In compliance with the Order dated 07.11.2024 of Hon'ble NGT, New Delhi and based on the nominations received from the organizations concerned, a Joint Committee has been constituted vide letter dated 25.11.2024 of CPCB comprising of the following members:

- (i). Dr. M. Thalamadai Karupiah, Scientist-E, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Sub-Office, Raipur.
- (ii). Sh. P. Jagan, Regional Director, Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal.
- (iii). Dr. Anita Sawant, Regional Officer, Chhattisgarh Environment Conservation Board, Durg-Bhilai.
- (iv). Sh. Darbari Ram Thakur, Joint Collector, Balod (representative of District Magistrate, Balod).

A copy of the Committee constitution letter is enclosed as **Annexure-2**.

**3. Terms of reference (ToR) to the Joint Committee:**

The Terms of the Reference (ToR) to the Joint Committee referred therein the Order dated 07.11.2024 of Hon'ble NGT in the above matter inter-alia include the following:

- (i). The Committee shall visit the site, collect relevant information and verify the allegations referred there in the letter petition dated 30.12.2023. Accordingly, the following are the issues referred therein the letter petition.
- Alleged indiscriminate disposal of tailings on the agricultural land and nearby water bodies.
  - Alleged air pollution due to inappropriate transportation of raw material without adequate precautionary measures.
  - Alleged impact on human health in the surrounding areas.

#### **4. Brief about the alleged project in the O.A and its status of compliance on the Statutory Requirements:**

The alleged Unit, M/s Godavari Natural Resource Pvt. Ltd., (M/s GNRPL) (presently in the name of M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd.) located at Gidhali Village, Dondi Tehsil, Balod District of Chhattisgarh was initially commenced its operation reportedly in the year 2008, only for the facilities of crushing and screening of 1.2 MTPA of Iron ore. The existing Unit was operated based on the 'Consent to Operate' as the said project activity not attracting the provisions of EIA Notification, 1994 and 2006. Subsequently, the Unit proposed for the capacity enhancement of production of Iron Ore crushing, screening from 1.2 MTPA to 1.5 MTPA and establishment of 1.5 MTPA Iron Ore Beneficiation plant. M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd Gidhali purchased the M/s GNRPL on 28.12.2022 and accordingly changed the name in EC and Consent documents on 19.1.2024 and 27.3.2024 respectively. As informed by the Project Authority, M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd. on contractual basis engaged M/s Dev Mining Company, Raipur as their operation and maintenance partner for a period of three years with effect from 01.9.2022 having the scope of overseeing the day-to-day operation and maintenance of equipment, machineries, conveyors, flocculants etc.

The factual status on various statutory requirements of the Unit is furnished below:

- (i). MoEF&CC vide letter No.J-11011/48/2020-IA.II(I) dated 18/5/2021 accorded environmental clearance (EC) for the expansion of Iron Ore Crushing and screening capacity from 1.2 MTPA to 1.5 MTPA and 1.5 MTPA Iron Ore Beneficiation plant in the name of M/s Godawari Natural Resources Pvt. Ltd., subject to the compliance of the conditions referred therein. Project Authority has obtained subsequent amendment in the EC from the MoEF&CC vide letter No.J-11011/48/2020-IA.II(I) dated 06/8/2021, wherein it has been stipulated that *"tailings from iron ore beneficiation plant shall be disposed in dry form after filtration in filter*

*press/vacuum filters*". Further, it was also stipulated as "*maximum storage of filtered cake permitted inside the plant shall be 90 days.*" The above Unit has been taken over by M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd. and thus requisite name transfer on the EC has been obtained from the SEIAA-Chhattisgarh vide letter No.2577/SEIAA-Chhattisgarh/ Nava Raipur, Atal Nagar, dated 19/01/2024.

- (ii). M/s Godawari Natural Resources Pvt. Ltd. renewed the 'Consent to Operate' from the CECB vide Order No.8763/TS/CECB/2023 Nava Raipur Atal Nagar, dated 17/3/2023 for Iron Ore Crushing and screening capacity from 1.2 MTPA to 1.5 MTPA and 1.5 MTPA Iron Ore Beneficiation plant, which is valid from 01/3/2023 to 28/02/2025. The above Unit has been taken over by M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd and thus requisite name transfer on the CTO has been obtained from the CECB vide Order dated 27/3/2024.
- (iii). The project authority has obtained authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 from the CECB vide letter No.10330/HSMD/HO/CECB/2020 Raipur dated 19.02.2020, which is valid till 17.02.2025.
- (iv). The estimated average water requirement of the Unit is 370 m<sup>3</sup>/day, which is being sourced both from ground water and surface water from Keshala Nallah. The Chhattisgarh State Water Resources Department vide letter No.3896 dated 2.8.2022 accorded permission for drawal of 270 m<sup>3</sup>/day of surface water from Keshala Nallah only for the period of six months i.e. January to June.
- (v). Project Authority has obtained NOC from Central Ground Water Authority vide NOC No.CGWA/NOC/IND/REN/1/2024/9030 dated 05/02/2024 for drawal of 95 m<sup>3</sup>/day of ground water through 4 bore wells, which is valid from 30/12/2023 to 29/12/2026. According to the paragraph 10 of the EC letter dated 18/5/2021, once the permission granted for the use of surface water, the ground water should be used only for domestic use (i.e. 5 m<sup>3</sup>/day). ***Presently, both ground water and river water is being used for the industrial operation of the Unit, which is against the stipulations of the regulatory authority. Project Authority should effectively comply with all the conditions stipulated and if any changes required in their operation, which can be performed only after getting necessary amendments in the EC from the regulatory authority concerned.***
- (vi). In the EC letter dated 18/5/2021, the details of solid waste generation along with its mode of treatment and disposal has been prescribed in the paragraph 13, which is reproduced below:

Sl. No.	Type of Waste	Source	Quantity (TPA)	Mode of Treatment / Disposal

1.	Solid waste Tailings	Beneficiation plant	225000	<p>The tailing generated will be taken back by those companies who will beneficiate their low-grade Iron ore.</p> <p>A temporary provision will be made in the plant for storage of dry tailing (in Cake form) in 2-hectare area.</p>
----	----------------------	---------------------	--------	---

Further in the said EC letter specific condition No. A(ix) reads as “The *tailings generated shall be taken back by the suppliers for beneficiating the low-grade iron content and should not be utilized for brick making.*”

- (vii). Based on the commitments made by the Project Authority during the public consultation held, action plan with time target for implementation has been prescribed under paragraph No.14 of the EC.


### **5. Brief on the Iron Ore Beneficiation process:**

The Iron Ore Beneficiation Plant having the capacity of 1.5 MTPA has been installed in the above Unit, which envisages with the provisions of equipment related to washing, gravity separation and magnetic separation equipment along with balancing equipment's for washing & beneficiating +2mm to -2 mm low grade Iron Ore Fines. The Iron (Fe) content in the feed material varies from 53% ~ 57% and the Iron content in product after washing and beneficiation is +62.5%. The Iron content in Tailings is 23 ~ 27% and the moisture content in the filter cake varies from 18 ~ 20%.

The basic process of mineral beneficiation is to convert low grade Haematite Iron ore into concentrate Iron by separating slimes like clay & silica. Raw material is fed through Ground Hopper to vibrating screen 1, where +40mm size separated as a trace material, -40mm size material goes to vibrating screen 2, where material is being washed & separated as +10mm product, which goes to vibrating screen 3 for separation into -10mm to 2mm and -2mm size, where -10mm to 2mm separated as product & -2mm size material goes to screw classifier. After processing through screw classifier -2mm to +150 micron & -150 micron separated. Further -2mm to +150 micron goes to the magnetic separator, where magnetic particles are collected as product & non-magnetic particles are taken out as waste through Dewatering screen. At the same time -150 micron goes gravity & magnetic separator where concentrate Fe is being collected as product through Dewatering screen & slimes are taken out to tailing thickener.

Since this sub-grade Iron Ore contains more of surficial clay, lateritic and other particles, which needs to be removed by the process of wet separation by using

grinding media, hydro cyclones and High intensity magnetic separator. This will help in separation of heavier material on basis of gravity, in the process of beneficiation and upgrade the input material. After sedimentation process overflow water is being recirculated to tailing thickener & underflow solids is being processed in tailing filter press for solids & clear water separation, where again clear water recirculated to tailing thickener & solids are taken as waste. The process flow chart of the unit is as given below:



## 6. Preliminary meeting of the Joint Committee

In consultation with the members of the Joint Committee, a preliminary meeting of the Committee was convened with the local people in presence of the representatives of Gram Panchayat Gidhali and Applicant in the O.A. on 28.11.2024. In the said meeting all the members of the Joint Committee were present and discussed the facts and issues involved in the matter, ToR to the Committee and further course of action proposed in this matter. In the said preliminary meeting the Committee has given an opportunity to the Applicant to submit his views and also requested the applicant physically show the places / allegations levelled in the letter petition especially regarding the alleged dumping of tailings generated from the beneficiation plant. During the deliberation, local people raised other issues regarding alleged encroachment of Govt. land by the above Project Authority. However, the Joint Committee restricted their scope within the issues referred therein the O.A and the ToR referred therein the above Order, since the land encroachment issues have already been represented by the local people to the District Collector and other local

authorities. The District Administration should examine the land issues, if any, through the Revenue authorities concerned based available records and take appropriate decision. List of participants in the meeting is enclosed as **Annexure-3**.

In continuation to the preliminary meeting, subsequent site inspection of the Joint Committee was held during 28<sup>th</sup> & 29<sup>th</sup> November, 2024 to verify the factual status on the allegations raised by the Applicant and collect the information from the alleged Project Authorities and other authorities concerned and also to carryout Ambient Air Quality monitoring and collection of surface water samples. Accordingly, the Joint Committee visited nearby areas of Dondilohara and Gidali villages as mentioned in the letter petition along with Applicant as well as Project Authority. Further, effort has been made to assess the present status of the surface water quality and ambient air quality of the area during the visit of the Committee.

### **7. Observation of the Joint Committee on the ToR to the Committee**

Based on the deliberations held during the meeting of the Joint Committee, subsequent site inspections of the industry under question, sampling and analysis of ambient air quality / surface water and documents made available to the Committee, the following observations are made on the ToR:

- (i) **Alleged indiscriminate disposal of tailings on the agricultural land and nearby water bodies.**
  - (a). During the preliminary meeting, the Committee has given an opportunity to the Applicant to submit supporting documents, if any, regarding the allegations made in respect of illegal disposal of tailing waste. Despite giving an opportunity, the Applicant not made available any supporting document regarding illegal dumps of tailing waste as he claimed in his letter petition. However, the applicant verbally informed about three locations of illegal tailing waste dumping sites and the Committee visited all these locations along with applicant i.e. Smt. Ramhin Khasra No.9 Dondilohara near Kamta nala, Smt. Kamayani Thakur Khasra No 713/7 Dondilohara and Sh. Khilendra S/o Indravan Singh Khasra No 16 Tikrapara.
  - (b). Based on the site inspection and documents made available, it has been observed that the tailing wastes are disposed after obtaining permission from the Office of District Collector (Mining Division), Balod. During the visit, the Committee collected the information related to tailings disposal in low lying areas after necessary approval from the Office of District Collector, Balod, which is enclosed as **Annexure-4**. Though the tailings are being disposed of

with due permission in the low-lying areas and agricultural land, during rainy season there is a possibility of seepage from the disposed area to the adjoining low-lying area.

- (c). As informed by the Project Authority (M/s Neco Mining Co. Pvt. Ltd.) the tailing waste generated in their plant is being disposed through M/s Jayaswal Neco Industries Ltd., Siltara, Raipur. On perusal of records, it has been observed that NOC/permission for dumping of tailing wastes in low-lying areas have been obtained from the Office of District Collector (Mining Division) by M/s Jayaswal Neco Industries Ltd. M/s Jayaswal Neco Industries Ltd, Siltara Raipur obtained the permission from the Mining Department of Chhattisgarh Govt. vide letter dated 30.6.2022 for Iron ore beneficiation (Iron content less than 60 percent) at M/s Neco mining Co. at Gidhali for further use in its own steel plant located in Siltara. As per condition no 5.4 of the letter dated 30.6.2022 the tailing waste has to be disposed as per Rule 4 of sub-rule 7 of Chhattisgarh State mineral (Mining, Transport and Storage) Rule 2009. The copy of the letter is enclosed as **Annexure-05**.
- (d). Chhattisgarh State Mining Department vide Notification No. 404 dated 6.10.2018 amended the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, wherein delegated powers to the District Collector to issue permission for use or sale of abandoned minerals in construction activity in view of conservation of other mineral in other works as per procedure. The procedure adopted for issuing the NOC by the Office of District Collector (Mining Division) for disposal of tailing waste as provided by the Unit is enclosed at **Annexure-6**. The relevant amended portion of the Notification No.404 dated 6.10.2018 is reproduced below:

AMENDMENT

*In the said rules,-*

*1. After sub-rule (6) of rule 4, the following shall be added, namely:-*

*"(7) Collector of concerned District shall grant permission on submission of application for use/sale of abandoned minerals as minor mineral in construction activities or in view of conservation of minerals in other works collected during temporary storage/ beneficiation/ processing /crushing of minerals outside lease area or storage beneficiation/processing/crushing at permit area:*

*Provided that, before grant of permission under sub rule (7) representative samples of such minor minerals shall be collected by the departmental officer from permit area. Permission for use/sale as minor*

*mineral for specific quantity and specified period shall be given after necessary testing of these samples in laboratory."*

The amendment Notification dated 6.10.20218 is enclosed as **Annexure-7**. Based on the above extant provisions, permissions/NOC being obtained from Collector Office for disposing the tailing waste on that particular area which is allotted for it. Reportedly, the above permissions are granted after analysing the waste material, if material found un-suitable for industrial use with respect to iron ore concentration percentage, then it will be allowed to dispose in low laying area. A sample report of the waste material analysis made available to the Committee is enclosed as **Annexure-8**. However, in the existing procedure adopted for issuing NOC, neither consulting with CECB nor the Officers of CECB is incorporated as a member of the said Committee. The Joint Committee opined that in the process of issuing NOC/permissions for disposal of waste material in low-lying areas, an Officer(s) from the CECB should be incorporated as a member in the said process of issuing NOC in order to ascertain the environmental issues involved therein.

According to the para No.13 of the EC letter dated 18.05.2021, the solid waste/tailings generated from the beneficiation plant is estimated as 2,25,000 TPA, which needs to be disposed to the companies who will beneficiate low grade iron ore. According to the EC amendment letter dated 06.8.2021, permission has been accorded for storage of tailings in the form of filtered cake for a period of 6 months in an area of 2.0 Ha within the plant premises. Presently, the Unit is having total six number of settling ponds with total storage volume of 148001 m<sup>3</sup>.


- (e). The Iron ore beneficiation process generates tailing to the extent of about 20% to 25% of the input Iron ore. Present rated capacity of the plant, the annual generation of such tailings would be around 2,25,000 TPA. Presently M/s Jayaswal Neco Industries Ltd. is providing the Iron Ore from their Mine located at Narayanpur District of Chhittigarh for beneficiation and collecting back the beneficiated ore to their Iron and Steel Plant located at Siltara, Raipur. As informed by the Project Authority the tailing waste generated in this plant also being collected by M/s Jayaswal Neco Industries Ltd. which is being presently disposed in low-laying areas after obtaining necessary permission from District Administration, Balod, which is inconsistent with the stipulated conditions of the EC. According to the EC condition, the tailing generated should not be used for Bricks manufacturing. In such circumstances, without amending the EC condition from the MoEF&CC, disposing the tailings in the low-lying area either by the Project Authority or

through any agency will tantamount non-compliance of the stipulated EC conditions and thus project authority should comply with the stipulations.

- (f). Project Authority shall explore suitable suppliers who can buy the tailings for supplying to the units, who use in co-processing/ beneficiate the low-grade iron content.
- (g). The Committee sought factual status from the Chhattisgarh State Agriculture Department regarding alleged illegal disposal of fine waste in agriculture field and reduction of crop production in this area, if any. In this regard Chhattisgarh State Agriculture Department vide letter No.3443 dated 30.11.2024 informed that, a team of Senior agriculture development Officer, Revenue inspector, Patwari and Rural Agriculture Development Officer visited the area on 28.11.2024 and as per report of the team, no such occurrence has been noticed in the agriculture area after verification in the area of Dondi block of Balod jurisdiction. The copy of letter received from Chhattisgarh State Agriculture Department, Balod is enclosed as **Annexure-9**.
- (h). No tailing waste dump has been observed in agricultural field, however the places visited with the applicant at Dondilohara town which is around 10 km far from unit and found the tailing waste disposed on the private lands in the low-lying area. The land owners informed that they voluntarily approach the project authority to dispose the waste on their own land for levelling purpose to construct the house or commercial establishment.
- (i). As per the water balance of the plant the total daily water requirement is about 3,242 m<sup>3</sup>/day if plant operated on its full capacity. Out of which 2,868 m<sup>3</sup>/day process effluents will be recycled and reused in the process and approx. 358 m<sup>3</sup>/day water will be lost as moisture content in graded iron ore and tailing waste and 12 m<sup>3</sup>/day water required for domestic use, dust suppression and plantation activities. Thus, 370 m<sup>3</sup>/day make up water required to be sourced from the surface water. The water balance chart collected during visit is enclosed as **Annexure-10**.
- (j). According to the paragraph 10 of the EC letter dated 18/5/2021, once the permission granted for the use of surface water, the ground water should be used only for domestic use (i.e. 5 m<sup>3</sup>/day). Nevertheless, Project Authority has obtained NOC from the Chhattisgarh State Water Resources Department vide letter No.3896 dated 2.8.2022 for drawal of 270 m<sup>3</sup>/day of surface water from Keshala Nallah **only for the period of six months i.e. January to**

**June.** In such circumstances, Project Authority *presently using both ground water and surface( Keshala Nallah )water for the industrial operation of the Unit, which is against the stipulations of the regulatory authority. Project Authority should effectively comply with all the conditions stipulated and if any changes required in their operation, which can be performed only after getting necessary amendments in the EC from the regulatory authority concerned.*

- (k). The Applicant alleged that the water quality of the River in Dondilohara area getting deteriorated. As observed, there is no river, and only seasonal nala flowing which is locally known as Kamta nala which is used for outdoor purpose only. To assess the present status of water quality 2 samples of Kamta Nala (Up stream & Down stream) and treated water of recycling pond of Unit has been collected and analysed in CPCB Laboratory. The details of the sampling locations are shown below:



### Surface water sample collection details

S. No.	Location	Remarks
1	Kamta Nala upstream w.r.t tailing waste dumping	No human activity was observed at this point and water sample collected to assess the effect of tailing, if any at down stream.
2	Kamta Nala downstream w.r.t tailing waste dumping	The tailing waste dumped near to (100 to 150 meter) the water sampling site at the land of Smt. Ramnih Khasra No. 9 at Dondilohara.

3	Treated water of recycling pond	The unit has installed the clarifier and settling pond for water recycling purpose. No outside water discharge was observed by the Committee during visit.
---	---------------------------------	--

### **Analysis result of water samples**

S. No.	Parameters	Standard limit as per IS 10500:2012 (Desirable Limit)	Water samples		
			Kamta nala Upstream	Kamta nala Down stream	Treated water of recycling
1	pH	6.5 to 8.5	7.25	7.77	7.72
2	Colour	--	Clear	Clear	Clear
3	Temperature °C	--	22.5	23.2	22.6
4	Total Solids	--	128	159	216
5	TDS	500	119	153	196
6	Suspended Solids	--	09	06	30
7	COD	--	12	12	08
8	BOD	--	03	04	04
9	Chloride as Cl	250	24	26	34
10	Dissolved Oxygen	--	7.67	7.70	7.72
11	Ammoniacal Nitrogen	0.15	0.02	0.02	BDL
12	Nitrate as NO <sub>3</sub>	45	BDL	BDL	BDL
13	Sulphate	200	18	26	40
14	Faecal Coliform	Nil	<1.8	7.8	--
15	Fe	0.30	0.091	0.011	0.412
16	Zn	5.0	0.02	0.05	0.02

All the values are in mg/l except pH. FC values are per 100 ml of sample. BDL-Below Detection Limit

- (i). The above analysis shows that there is no variation/effect in water quality of Kamta nala w.r.t upstream and downstream. This water sample was collected since as alleged large quantity of tailings dumped at near Kamta nala. As per the classification of Designated Best Use of inland water quality criteria the Kamta nala water quality comes under B category and fit for outdoor bathing (Organised). The copy of analytical results of water samples are enclosed as **Annexure-11**.

**(ii). Alleged air pollution due to inappropriate transportation of raw material without adequate precautionary measures:**


- (i). During the visit of the Committee local residents informed that frequent movement of multi axel trucks for transportation of iron ore significantly contributing the major source for air pollution in the Gidhali and Dondilohara villages. The Iron Ore for benefaction in plant is being sourced primarily from

the Iron Ore Mine of M/s Jayaswal Neco Industries Ltd., which is being transported from the mine to this plant by road through trucks and thus possibility of fugitive emission during transportation, unloading and handling may not be ruled out.

- (ii). All the trucks engaged in material transportation were found covered with tarpaulin during the transporting of raw material. The CECB also issued Office Order dated 26.06.2024 regarding proper covering of transportation vehicles carrying raw materials and solid waste generated from the industrial units. Copy of the office order is enclosed as **Annexure-12**.
- (iii). During the visit, the Committee has observed the dust deposition on the leaves of the plants located around the industry, machineries within the plant and leaves of the trees on both sides of the road upto approx. 200 meters from the main gate of the Unit. If the said deposited dust accumulation is due to heavy truck movement, the same should have been reflected throughout the entire route of mineral transportation. The Committee travelled on the road wherein the mineral and finished product is being transported through trucks and observed that no any significant dust deposition on both sides of the said road after 200 meters from the plant premises was noticed, which infers that the dust generation in the surrounding of the industry premises may be contributing from the fugitive emission originating from the open stacked material, loading and unloading area within the Unit. During the visit, it has been observed that huge quantity of raw material is stacked in open area without any covered shed. The heaps of semi-processed material were also stored in the plant premises at four locations and partly covered with tarpaulin and reportedly the material contains 18% to 20% of moisture, hence the possibility of fugitive emission is very less.
- (iv). In Order to control air pollution / dust emission from the Unit, project authority shall ensure that all around the material stock yard, loading unloading areas should be provided with covered shed or vertical wind breaking walls with sufficient height needs to be constructed to arrest the fugitive dust emission. Further, during the high wind and in dry weather the possibility of fugitive emission may not be ruled out and unit has to take care about it by increasing the frequency of mechanical sweeping and water sprinkling through mobile tankers.
- (v). It has been observed that the Unit has constructed concreted road within the Plant premises and stock yards and main processing area equipped with fixed

and moving type of water sprinklers to reduce the fugitive emissions during plant operation. The garland drains have been provided around the stockyard to trap the runoff materials and water. The drains are connected with settling tanks to recover the material and recycling of water.

- (vi). In order to assess the Ambient Air Quality in the vicinity of plant area, Ambient Air Quality Monitoring for 24 hours was carried out at 4 locations i.e. Ramesh's farm house in village Gidhali, main gate of the Plant, Sarpanch house in village Baklitola and Roopsings house in village Gainji for the prominent air pollutant parameters viz. PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>. The AAQ monitored locations are shown in a google image:



- (vii). The ambient air quality, monitoring stations were installed at up-wind and downwind directions and monitoring carried out for 24-hour basis in plant vicinity and nearby village during 28<sup>th</sup> - 29<sup>th</sup> November, 2024. Monitored data of Ambient Air quality is given below:

Sl. No.	Location	PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>x</sub> (µg/m <sup>3</sup> )
1	Ramesh's farm house in Village Gidhali	91	57	07	31
2	At the plant premises near Village Gidhali	86	55	08	32
3	Sarpanch house in village Baklitola	72	49	06	26
4	Roopsings house in Village Gainji	89	54	06	30
NAAQ Standard (Ambient air quality monitoring carried out for 24 Hr basis)		100	60	80	80

On the basis of above monitored Ambient Air quality data, it has been observed that the average concentration of PM<sub>10</sub> (24 Hr basis) was found to be in the range of 91 µg/m<sup>3</sup> to 72 µg/m<sup>3</sup>. The PM<sub>2.5</sub> was found to be in the range of 57 µg/m<sup>3</sup> to 49 µg/m<sup>3</sup> and all the values are within the limit. The concentration of primary gaseous pollutants i.e. NO<sub>x</sub> and SO<sub>2</sub> were also found to be within the limit at all the monitored locations. The copy of analytical report of the ambient air quality is enclosed at **Annexure-13**. The Unit has also installed the two Continuous ambient air quality monitoring stations at up and down wind direction, but due to transmission related issue data was not available at CECB website however, monthly average values of last six months were found within the limit and the printout of results are enclosed as **Annexure-14**.

**(iii). Alleged impact on human health in the surrounding areas**

The Joint Committee sought factual status from the Chhattisgarh State Health Department regarding alleged impact of tailing waste dumping on human health, if any. The State Health Department vide letter No.5586 dated 29.11.2024 informed that no such type of study conducted by health department. The department also informed that there is no information available regarding adverse impact on health caused by disposal of tailing waste. Copy of the reply received from Chhattisgarh State Health Department is enclosed as **Annexure-15**.

As informed by the local residents that the project authority is not implementing CSR activities effectively in the adjoining areas of the project. The project authority shall effectively comply with the action plan mentioned under para 14 of the EC inter alia including organising periodic health check-up camps in the surrounding villages, de-silting of the Keshala nala etc.

**(iv). Other Observations:**

The total area of the unit is 27.53 Ha and as per layout map submitted by the unit the unit has provided 33% of the area for green belt, however it may be increased by planting more trees at the periphery of the unit and to arrest the air bourn dust emission inside the plant.

During the deliberation, local people raised other issues regarding alleged encroachment of Govt. land by the above Project Authority. However, the Joint Committee restricted their scope within the issues referred therein the O.A and the ToR referred therein the above Order, since the land encroachment issues have already been represented by the local people to the District Collector and other local authorities. The representation given by the local residents regarding above is enclosed as **Annexure-16**

## **8. Recommendations of the Joint Committee:**

On the basis of the above observations made during inspection of the Committee, the following recommendations are submitted for implementation of the Unit for further improvement:

1. Though the lawful provisions are available for disposal of tailing waste in low-lying areas, the tailing cakes generated in the alleged Unit should not be used for landfilling of low-lying areas, since the EC conditions are not permitting the same. In such circumstances, without amending the EC conditions from the MoEF&CC, disposing the tailings in the low-lying area either by the Project Authority or through any authorized agency will tantamount non-compliance of the stipulated EC conditions and thus project authority should effectively comply with the stipulations.
2. The tailing cakes generated should be sent to the suppliers who can distribute to the industries beneficiating low-grade iron content / pelletization plant or in any co-processing / cement industries to the extent possible. The project Authority after getting necessary amendment in the EC and approval from the Competent Authorities can dispose of the tailing cakes generated in the alleged mineral beneficiation Unit in the mine void from where the iron ore is being sourced instead of dumping in low lying areas.
3. The existing procedure adopted by the Office of District Collector (Mining Division) for issuing NOC/permission for disposal of waste material in low-lying areas, neither consulting with CECB nor the Officers of CECB is incorporated as a member of the said Committee and thus it is appropriate to incorporate an appropriate Officer from the CECB as a member in the said process of issuing NOC in order to ascertain the environmental issues involved therein.
4. In Order to control air pollution / dust emission from the Unit, Project Authority shall ensure that all around the material stock yard, loading, unloading areas should be provided with covered shed or vertical wind breaking walls with adequate height needs to be constructed to arrest the fugitive dust emission. Further, dedicated mechanical sweeping machine should be deployed inside and outside the plant. Adequate mobile water sprinklers need to be deployed. These may be implemented on priority within 3 months and the implementation of the same shall be ensured by the CECB. Project Authority shall submit the implementation report to the CECB and MoEF&CC.
5. The transporting company shall follow the instructions of the order issued by CECB on 26.06.2024 regarding proper covering of transportation vehicles carrying raw materials and solid waste generated from the industrial units.
6. Greenbelt development needs to be strengthened with thick and tall plantation

along the plant boundary to arrest the air born dust.

7. Project Authority presently using both ground water and surface water for the industrial operation of the Unit, which is against the stipulations of the EC. Project Authority should effectively comply with all the conditions stipulated and if any changes required in their operation, which can be performed only after getting necessary amendments in the EC from the regulatory authority concerned.
8. The project authority shall effectively comply with the action plan mentioned under para 14 of the EC inter alia including organising periodic health check-up camps in the surrounding villages, de-silting of the Keshala nala etc. in consultation with local authority concerned.
9. The District Administration should examine the land issues, if any, through the Revenue authorities concerned based available records and take appropriate decision.



**(Pentani Jagan)**  
Regional Director,  
CPCB, Bhopal



**(Dr. M. Thalamadai Karuppiyah)**  
Scientist-E, MoEF&CC,  
Sub-Office, Raipur



**(Sh. Darbari Ram Thakur)**  
Joint Collector, Balod



**(Dr. Anita Sawant)**  
Regional Officer, CECB, Bhilai

## Photographs of the Joint Committee Inspection



Latitude: 20.673884  
Longitude: 81.086477  
Elevation: 356.05±46 m  
Accuracy: 49.8 m  
Time: 11-28-2024 12:17  
Note: gidhali

Powered by NoteCam

**Joint Committee meeting with Sarpanch and local residents at Gidhali, CG**



Latitude: 20.726503  
Longitude: 81.202354  
Accuracy: 1800.0 m  
Time: 11-28-2024 11:19  
Note: बालोद

Powered by NoteCam

**Preliminary meeting of the Committee members at Balod, CG**



Committee meeting with Applicant and alleged Project Authorities at Gidhali, CG



Site inspection of the alleged Unit by Committee members at Gidhali, CG



Site visit of unit by committee members at Gidhali, CG



Site visit of unit by committee members at Gidhali, CG



Site visit by committee members at Dondilohara, CG



Kamta Nala upstream sampling at Dondilohara



Kamta Nala Downstream sampling at Dondilohara



Spillage collection channel inside unit



Committee visit at tailing waste disposal site Dondilohara




Committee visit at tailing waste disposal site Dondilohara



Tailing waste disposal site at Dondilohara, CG



**Water sprinkling in screening area to reduce the emission**



**Green belt and concrete road inside the unit**



**Dust arrest and deposited on plant leaves inside the unit**



Semi processed tailing stored inside the unit



Tailing storage pond inside the unit



Ambient air monitoring at Gaichi village



CAAQM installed in unit

Item No.08

Court No. 2

**BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1079/2024

Sandeep Kasar

Applicant(s)

Versus

State of Chhattisgarh

Respondent(s)

Date of hearing: 07.11.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicants: None

**ORDER**

1. Sandeep Kasar and Vishavkarma of Village Dondilohara, District Balod, State of Chhattisgarh, have sent a letter petition dated 30.12.2023 raising a complaint of emission of dust particles during iron mining in the Tribal area of Dondilohara, causing air pollution, and this letter petition has been registered as Original Application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as '**NGT Act, 2010**') in exercise of *suo-moto* jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in ***Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and Others, (2022) 13 SCC 401.***

2. Complainants have said that M/s Godavari Mines Gidhali and Dev Mining Company are operating in Tribal area of Dondilohara, District Balod, State of Chhattisgarh and in the course of mining iron particles causing air pollution are being which is emitted causing health hazard to

the local people and no action has been taken for remediating the problem either by proponent or by the Authority concerned.

3. Facts stated in this letter petition, in our view, give rise to a substantial question relating to environment arising out of implementation of enactments mentioned in Schedule I of NGT Act, 2010 but before proceeding further we find it appropriate to have the facts verified by obtaining a factual report hence, constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Balod; Chhattisgarh Environment Pollution Control Board; Central Pollution Control Board; and Integrated Regional Office, Ministry of Environment Forest and Climate Change, Raipur.

4. Central Pollution Control Board shall be the Nodal Authority for co-ordination and compliance of this order.

5. Above Committee shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within six weeks.

6. List on 23.12.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 07, 2024  
Original Application No. 1079/2024  
M



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल  
**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



**Annexure-02**

क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओए-1079/2024/1535-1537

दिनांक: 25 नवंबर, 2024  
**एन.जी.टी. प्रकरण**

प्रति,

उप-महानिदेशक वन (C) उप-कार्यालय, भू-तल, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर-492002 (छ.ग.)	कलेक्टर कार्यालय बालोद छत्तीसगढ़-496001	सदस्य सचिव छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सैक्टर-19, नया रायपुर-492002 (छ.ग.)
--	---	--

विषय: माननीय एनजीटी प्रिंसिपल बैंच, दिल्ली के प्र.क.-1079/2024 के आदेश दिनांक 07/11/2024 के परिपालन में संयुक्त समिति के गठन बाबत।


संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्र.: क्षे.नि.भो./एन.जी.टी. ओए-1079/2024/1506 दिनांक: 22/11/2024 महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र संलग्न) जिसके माध्यम से माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क.-1079/2024 में पारित आदेश में 04 सदस्यीय समिति के गठन हेतु निर्देश प्रदान किया गया था। उपरोक्त के परिपालन में सभी संबंधित विभागों से प्राप्त नामांकन के आधार पर निम्न समिति का गठन किया गया है तथा समिति द्वारा **दिनांक: 28 व 29 नवंबर, 2024 को स्थल निरीक्षण** किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	नाम व पदनाम	सम्पर्क विवरण
01	श्री पी. जगन, क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in मो.नं. 9755559745
02	डॉ. एम.टी. करुपियाह, वैज्ञानिक-ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप-कार्यालय, रायपुर	ई-मेल: mtkarupiah@gmail.com मो.नं. 9840390069
03	डॉ. अनिता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.प.सं.मं., भिलाई	ई-मेल: bhilairo@gmail.com मो.नं. 9685095423
04	श्री दरबारी राम ठाकुर, जॉईंट कलेक्टर, बालोद	मो.नं. 9406474135

उपरोक्त समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल ग्राम- डौण्डीलोहारा, गिधाली, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़ का संयुक्त निरीक्षण व स्थानीय विभागों से समन्वय कर जानकारी एकत्रिकरण कार्य माननीय एनजीटी द्वारा पारित आदेश के बिंदु क्रमांक-5 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रतिवेदन **दिनांक: 20/12/2024** तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। इस बाबत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

भवदीय,

  
(पी. जगन)  
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि:

- श्री नजीमुद्दीन, वैज्ञा.-एफ एवं विभाग प्रमुख, IPC-II } की ओर कृपया सूचनार्थ।
- डिविजनल हेड, विधि विभाग., के.प्र.नि.बो., दिल्ली }

क्षेत्रीय निदेशक

“राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है”

पता: “परिवेश भवन”

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

ईपीएबीएक्स : 0755-2775384/85/86

ई-मेल: cpcb.bhopal@gov.in

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030

वेबसाइट: [www.cpcb.nic.in](http://www.cpcb.nic.in)











“सिंगल यूज प्लास्टिक” का करें बहिष्कार

Attendance Sheet

Meeting of the members of Joint Committee constituted in compliance with the Order dated 07.11.2024 in the O.A. No. 1079 of 2024 in the matter of 'Sandeep Kasar Versus State of Chhattisgarh' and other Stakeholders.

Date: 28.11.2024

Location: Balad, Dandi lohera CG.

S.No.	Name and Designation	Mobile	Signature
1	P. Jayam	9755559745	
2	Dr. M. THALAMADAI KARUPPIAH	9840390069	
3	Dambai Ram lha	91006424135	
4	Dr. Anita Savant	9685095423	
5	Dr. Anoop Chaturvedi, IPCB	9424439755	
6	M. K. Shrivastava	9826179393	
7	<del>...</del> Banshi Thakur	7898887184	
8	<del>...</del>	9253072209	
9	डॉ. मरुताम पटेल	7987038252	
10	...	9303549717	
11			
12			

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ - 491226 Email: [mlnrbalod@gmail.com](mailto:mlnrbalod@gmail.com)  
कमांक :- /कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक:-

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतारा, ग्रोथ सेन्टर,  
बिलासपुर रोड, सिलतारा रायपुर  
जिला रायपुर(छ.ग.)

Annexure-04

- विषय :- मेटाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनिफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने बाबत।
- संदर्भ :-
1. अध्यक्ष (खदान) मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक/जे.एन.आई.एल/माईन्स/2024/330 दिनांक 22.10.2024
  2. कार्यालयीन आदेश पत्र क्र. 1110/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक 29.05.2024 एवं पत्र क्र.1370/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक 02.08.2024

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मेटाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का गिधाली स्थित संयंत्र में बेनिफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी(रिजेक्ट) कुल मात्रा 1,60,307.07 मै.टन को चयनित विभिन्न स्थानों में डिस्पोज करने हेतु आपका आवेदन दिनांक 11.03.2024 को प्राप्त हुआ। बेनिफिकेशन पश्चात् प्राप्त अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,60,000.00 मै.टन को चयनित विभिन्न स्थानों/खसरों में डिस्पोज/उपयोग करने हेतु कार्यालयीन आदेश पत्र क्र.1110/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक 29.05.2024 एवं पत्र क्र.1370/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक 02.08.2024 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 28.11.2024 को समाप्त हो रही है।

पूर्व जारी आदेश दिनांक 29.05.2024 एवं 02.08.2024 के अनुपालन में आपके द्वारा अनुपयोगी (Reject) मात्रा 1,60,000.00 मै.टन में से दिनांक 07.11.2024 की स्थिति में 81,121.180 मै.टन मात्रा का डिस्पोज पूर्व निर्धारित स्थानों में किया जा चुका है। वर्तमान में मात्रा 78,878.820 मै.टन का अनुपयोगी डिस्पोज हेतु शेष है। आपके द्वारा संदर्भित पत्र से बचत मात्रा को डिस्पोज किये जाने हेतु अवधि विस्तारीकरण हेतु लेख किया गया है। उक्त आवेदन परिप्रेक्ष्य में दिनांक 07.11.2024 के अनुपयोगी (रिजेक्ट) के डिस्पोज उपरांत बचत मात्रा 78,878.820 मै.टन को पूर्व चयनित विभिन्न स्थानों/खसरों में डिस्पोज करने हेतु दिनांक 29.11.2024 से 28.05.2025 तक की अवधि विस्तारित निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

01- अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नांकित स्थलों पर किया जाना होगा।

क्र.	भू-स्वामी	पता	खसरा न.	रकबा (हे.)
1	श्रीमान् मनीष कुमार जैन, ई-2, पदनाभपुर, दुर्ग, छ.ग., मोबा. 9425236206	प0ह0न0 - 10, ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	573	1.75
2	श्री विवकी कुमार तोलानी, वार्ड कमांक-27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ. ग., मोबाइल नं. 9981639602	प0ह0न0 - 09, ग्राम-खम्हारटोला, जिला-बालोद, छ.ग.,	1/8, 6/11	0.05, 0.43

3	श्रीमती रघिया वाई, ग्राम- अंडी, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 38, ग्राम-बटेरा, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	427/1	0.38
4	श्रीमति कामयानी ठाकुर पति, प्रमोद सिंह ठाकुर ग्राम डौण्डी लोहारा तह0 डौण्डी लोहारा जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9754001001	प0ह0न0 - 56, ग्राम- कामता ग्राम डौण्डी लोहारा तह0 डौण्डी लोहारा जिला-वालोद, छ.ग.,	116/3, 117,144/1	0.04, 0.16, 0.01
5	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, ग्राम -डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवाइल नं. 6265755709	प0ह0न0 - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	237/2	0.26
6	श्रीमान् शोभा राम, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग. मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	722/1	0.0197
7	श्रीमति कामयानी ठाकुर पति, प्रमोद सिंह ठाकुर ग्राम डौण्डी लोहारा तह0 डौण्डी लोहारा जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9754001001	प0ह0न0 - 37, ग्राम डौण्डी लोहारा तह0 डौण्डी लोहारा जिला-वालोद, छ.ग.,	713/7, 713/8,	0.09, 0.08
8	श्री दयालू राम, पटवारी कार्यालय के पीछे, ग्राम - डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवाइल नं. 9829633441	प0ह0न0 - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	654/6	0.08
9	श्रीमान् प्रकाश भंसाली, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 39, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	946/2	0.33
10	श्रीमान् संदीप कुमार जैन, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.	प0ह0न0 - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	50/9	0.20
11	श्रीमान् खिलशवर आ0 संतू राम, ग्राम- लमती, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 39, ग्राम-अंडी, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	955/10	0.38
12	श्रीमान् शैलेन्द्र, ग्राम - भरदा, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 39, ग्राम-अंडी, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	98, 100/1, 104/1, 104/2	0.620, 0.320, 0.420, 0.200
13	श्रीमान् प्रकाश भंसाली, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग., मोवा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	675/1, 676, 679, 647/1	0.26, 0.10, 0.16, 0.018
14	श्रीमान् गजेन्द्र ठाकुर, सम्बलपुर, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.	प0ह0न0 - 36, ग्राम-सम्बलपुर, डौण्डी लोहारा, जिला-वालोद, छ.ग.,	51/1	1.15

port

	मोबा. 9993797070, 7974093430			
15	श्री धनन्जय रावटे, ग्राम- कोचेरा, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 36, ग्राम-सम्बलपुर, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	36/6, 36/7	0.060, 0.020
16	श्रीमान् रमेश जायसवाल, मेन रोड चंदेनी भाठा, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ. ग., मोबाइल नं. 9424123777	प0ह0न0 - 09, ग्राम-खम्हारटोला, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	6/4, 1/6	0.37, 0.11
17	श्रीमान् रमेश जायसवाल, मेन रोड चंदेनी भाठा, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ. ग., मोबाइल नं. 9424123777	प0ह0न0 - 09, ग्राम-खम्हारटोला, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	4/8,	0.75
18	श्रीमती मन्जु तोलानी, वार्ड कमांक - 27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ. ग., मोबाइल नं. 9407607931	प0ह0न0 - 20, ग्राम-खैरवाही, जिला-बालोद, छ.ग.,	327/4	0.33
19	श्रीमती संगीता कुम्हार, ग्राम - कारुटोला, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9098921592	प0ह0न0 - 10, ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	76, 77/1, 189/2, 189/5, 189/6, 189/12, 189/14, 190/1, 212/2, 212/5, 216/5, 216/10 (कुल खसरा 12)	0.03, 0.09, 0.50, 0.24, 0.14, 0.08, 0.05, 1.05, 0.80, 0.19, 0.30, 0.19 (कुल रकबा 3.66 हे.)
20	श्रीमती चन्द्रशीला जायसवाल, वार्ड कमांक - 27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9424123652	प0ह0न0 - 06, ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	189/1, 189/8	0.25, 0.30
21	श्रीमान् कोमल सिंह धुर्वे, कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 7898087291	प0ह0न0 - 08, ग्राम-बिटाल, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	177/1	0.3200
22	श्री परविन्दर सिंह छतवाल एवं श्रीमती सरनजीत कौर, दल्ली राजहरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9584428088	प0ह0न0 - 06, ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	349/14, 349/6	0.14, 0.09
23	श्रीजोसफ के.ए. एवं श्रीमती रीना जोसफ, दल्ली राजहरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9584428088	प0ह0न0 - 06, ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	349/15, 349/19, 349/17, 349/18	0.10, 0.43, 0.11, 0.09

24	श्रीमान् रोमन लाल, वार्ड नं. 14, गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9630317625	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	583/3	0.1000
25	श्रीमान् देवी राम, वार्ड नं. 14, गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	583/1	0.1300
26	श्रीमान् शरीफ खान, गैरेजपारा, कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 8349759617	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	584	0.0700
27	गणेश रामटेके पिता श्री ईश्वर दास रामटेके निवासी ममता नगर, पंचशील कॉलोनी, शहर तहसील व जिला राजनांदगांव (छ.ग.)	प.ह.न. - 36, ग्राम संवलपुर तहसील डौण्डीलोहरा जिला बालोद, छ.ग.	33	0.38

02- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।

03- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।

04- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गद्दा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।

05- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

06- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गद्दा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।

07- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।

08- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा

09- यह अनुमति अनुपयोगी (रिजेक्ट) पूर्व जारी आदेश दिनांक 29.05.2024 एवं 02.08.2024 में उल्लेखित कुल मात्रा 1,60,000.00 मै.टन में से दिनांक 07.11.2024 की स्थिति में अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 81,121.180 मै.टन डिस्पोज उपरांत बचत मात्रा 78,878.820 मै.टन के डिस्पोज करने हेतु दिनांक 29.11.2024 से 28.05.2025 तक की अवधि विस्तारित की जाती है। जारी आदेश दिनांक 28.05.2025 तक वैध रहेगी।

पृ. क्रमांक :- /564(A)/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

01- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल चुतुर्थ फ्लोर, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02- स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03- अनुविभागीय अधिकारी(रा.) डौण्डी/डौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

04- तहसीलदार डौण्डी/डौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05- खनि निरीक्षक, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

खनि अधिकारी  
जिला-बालोद(छ.ग.)

18/11/2024

*[Signature]*  
खनि अधिकारी  
जिला-बालोद(छ.ग.)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ - 491228 Email: miningbalod@gmail.com

क्रमांक / कोपा / अनुपयोगी परिवहन / 2024-25 बालोद दिनांक

02/08/2024

पत्र

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,

इंडस्ट्रियल एरिया

इंडस्ट्रियल रोड शिलतारा रायपुर

जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय

मेढाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन उपरांत प्राप्त अनुपयोगित खनिज को डिस्पोज करने के संबंध में।

संदर्भ

01 इस कार्यालय का आदेश पत्र क्र.1110/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक 29.05.2024

02 अध्यक्ष (खदान) मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक/जे.एन.आई.एल./आई.एस./2024/209 दिनांक 27.06.2024

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र(1) के माध्यम से आपको मेढाबोदली एवं छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के गिधाली स्थित बेनीफिकेशन संयंत्र में बेनीफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी (रिजेक्ट) को डिस्पोज करने हेतु इस कार्यालय आदेश पत्र क्र. 1110 दिनांक 29.05.2024 के अनुसार दिनांक 29.05.2024 से छः माह तक के लिए अनुमति/आदेश दिया गया है।

उक्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नीचे उल्लेखित स्थानों पर मेढाबोदली एवं छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के गिधाली स्थित बेनीफिकेशन संयंत्र में बेनीफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी (रिजेक्ट) खनिज को परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र	भू-स्वामी	पता	खसरा न.	रकबा (हे.)
1	महेश लमटेकर पिता श्री इशरदा दास लमटेकर निवासी ममता नगर पंचशील कॉलोनी शहर कच्छील व जिला राजनादगाव (छ.ग.) मोबा 99996 98452	4080न0 36, गाम-संबलपुर, तह0 लौपरीलोहरा, जिला-बालोद, छ.ग.,	33	0.38

*[Signature]*  
खनि अधिकारी  
जिला-बालोद(छ.ग.)

पु क्रमांक  
प्रतिलिपि

/कोपा/अनुपयोगी परिवहन/2024-25 बालोद दिनांक-

सं.नं. के कलेक्टर, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनाएं प्रेषित।

खनि अधिकारी  
जिला-बालोद(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ - 491226 Email: [miningbalod@gmail.com](mailto:miningbalod@gmail.com)

क्रमांक :- 1110 / कोपा / अनुपयोगी परिवहन / 2024-25 बालोद दिनांक :- 29/05/24

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, ग्रोथ सेन्टर,  
बिलासपुर रोड, सिलतरा रायपुर  
जिला रायपुर(छ.ग.)

- विषय :- मेटाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने बावत्।
- संदर्भ :- अध्यक्ष (खदान) मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक/जे.एन.आई. एल/माईन्स/2024/87 दिनांक 11.03.2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मेटाबोदली एवं छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के गिधाली स्थित बेनीफिकेशन संयंत्र में बेनीफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी (रिजेक्ट) कुल मात्रा 1,60,307.07 मै.टन को डिस्पोज करने हेतु आपका आवेदन प्राप्त हुआ है।

बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,60,307.07 मै.टन में से 1,60,000.00 मै.टन को चयनित विभिन्न स्थानों/खसरों में डिस्पोज/उपयोग करने हेतु जारी आदेश दिनांक से 06 माह की कालावधि हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनुपयोगी (रिजेक्ट) को परिवहन किये जाने की अनुमति दी जाती है:-

01- अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नांकित स्थलों पर किया जाना होगा।


क्र.	मू-स्वामी	पता	खसरा न.	रकबा (हे.)
1	श्रीमान् मनीष कुमार जैन, ई-2, पदनामपुर, दुर्ग, छ.ग., मोबा. 9425236206	प0ह0न0 - 10, ग्राम-चिखलाकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	573	1.75
2	श्री विदेकी कुमार तोलांनी, वार्ड क्रमांक - 27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9981639602	प0ह0न0 - 09, ग्राम-खम्हारटोला, जिला-बालोद, छ.ग.,	1/8, 6/11	0.05, 0.43
3	श्रीमती रधिया याई, ग्राम- अंडी, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प0ह0न0 - 38, ग्राम-बटेरा, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	427/1	0.38
4	श्रीमति कामयानी ठाकुर पति, प्रमोद सिंह ठाकुर ग्राम डौण्डी लौहारा तह0 डौण्डी लौहारा जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9754001001	प0ह0न0 - 56, ग्राम- कामता ग्राम डौण्डी लौहारा तह0 डौण्डी लौहारा जिला-बालोद, छ.ग.,	116/3, 117,144/1	0.04, 0.16, 0.01

5	श्री युक्तेश कुमार सिन्हा, ग्राम - डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 6265755709	प०ह०न० - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	237/2	0.26
6	श्रीमान् शोभा राम, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	722/1	0.0197
7	श्रीमति कामवानी ठाकुर पति, प्रमोद सिंह ठाकुर ग्राम डौण्डी लौहारा तह० डौण्डी लौहारा जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9754001001	प०ह०न० - 37, ग्राम डौण्डी लौहारा तह० डौण्डी लौहारा जिला-बालोद, छ.ग.,	713/7, 713/8,	0.09, 0.08
8	श्री दयालू राम, पटवारी कार्यालय के पीछे, ग्राम - डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9829633441	प०ह०न० - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	654/6	0.08
9	श्रीमान् प्रकाश भंसाली, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 39, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	946/2	0.33
10	श्रीमान् संदीप कुमार जैन, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.	प०ह०न० - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	50/9	0.20
11	श्रीमान् खिलेशवर आ० संतू राम, ग्राम- लमती, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 39, ग्राम-अंडी, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	955/10	0.38
12	श्रीमान् शैलेन्द्र, ग्राम - भरदा, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 39, ग्राम-अंडी, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	98, 100/1, 104/1, 104/2	0.620, 0.320, 0.420, 0.200
13	श्रीमान् प्रकाश भंसाली, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 37, ग्राम-डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	675/1, 676, 679, 647/1	0.26, 0.10, 0.16, 0.018

14	श्रीमान् गजेन्द्र ठाकुर, सम्बलपुर, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 36, ग्राम-सम्बलपुर, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	51/1	
15	श्री धनन्जय रावटे, ग्राम- कोचेरा, तह. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9993797070, 7974093430	प०ह०न० - 36, ग्राम-सम्बलपुर, डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.,	36/6, 36/7	0.060, 0.020
16	श्रीमान् रमेश जायसवाल, मेन रोड चंदेनी भाठा, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9424123777	प०ह०न० - 09, ग्राम-खम्हारटोला, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	6/4; 1/6	0.37, 0.11
17	श्रीमान् रमेश जायसवाल, मेन रोड चंदेनी भाठा, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9424123777	प०ह०न० - 09, ग्राम-खम्हारटोला, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	4/8,	0.75
18	श्रीमती मन्जु तोलानी, वार्ड कमांक - 27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9407607931	प०ह०न० - 20, ग्राम-खैरवाही, जिला-बालोद, छ.ग.,	327/4	0.33
19	श्रीमती संगीता कुम्हार, ग्राम - कारुटोला, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9098921592	प०ह०न० - 10, ग्राम-चिखलाकसा, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	76, 77/1, 189/2, 189/5, 189/6, 189/12, 189/14, 190/1, 212/2, 212/5, 216/5, 216/10 (कुल खसरा 12)	0.03, 0.09, 0.50, 0.24, 0.14, 0.08, 0.05, 1.05, 0.80, 0.19, 0.30, 0.19 (कुल रकबा 3.66 हे.)
20	श्रीमती चन्द्रशीला जायसवाल, वार्ड कमांक - 27, दल्ली राजहरा, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9424123652	प०ह०न० - 06, ग्राम-चिखलाकसा, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	189/1, 189/8	0.25, 0.30
	श्रीमान् कोमल सिंह धुर्वे, कुसुमकसा, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 7898087291	प०ह०न० - 08, ग्राम-बिटाल, तह० डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	177/1	0.3200

22	श्री परविन्दर सिंह छतवाल एवं श्रीमती सरनजीत कौर, दल्ली राजहरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9584428088	प0ह0न0 - 06, ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	349/14, 349/6	0.14, 0.09
23	श्रीजोसफ के.ए. एवं श्रीमती रीना जोसफ, दल्ली राजहरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबा. 9584428088	प0ह0न0 - 06, ग्राम-कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	349/15, 349/19, 349/17, 349/18	0.10, 0.43, 0.11, 0.09
24	श्रीमान् रोमन लाल, वार्ड नं. 14, गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 9630317625	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	583/3	0.1000
25	श्रीमान् देवी राम, वार्ड नं. 14, गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	583/1	0.1300
26	श्रीमान् शरीफ खान, गैरेजपारा, कुसुमकसा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग., मोबाइल नं. 8349759617	प0ह0न0 - 03, ग्राम-गुजरा, तह0 डौण्डी, जिला-बालोद, छ.ग.,	584	0.0700

- 02- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।
- 03- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।
- 04- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गद्दा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।
- 05- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- 06- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गद्दा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।
- 07- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।
- 08- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
- 09- यह अनुमति अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,60,000.00 मै.टन के डिस्पोज करने हेतु आदेश जारी दिनांक से 06 माह की कालावधि के लिए वैध रहेगी।  
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

  
खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ.ग.)

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ - 491228 Email: miningbalod@gmail.com

क्रमांक :- 862/खनि.लि./जनरल/2023-24 बालोद दिनांक- 19.02.2024

प्रति,

अध्यक्ष (खदान)

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, ग्रोध सेन्टर,  
बिलासपुर रोड, सिलतरा रायपुर  
जिला रायपुर(छ.ग.)

विषय :-

मेटाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने बाबत।

संदर्भ :-

श्री टी.प्रसन्ना कुमार, अध्यक्ष (खदान) वारसे मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्र. जे.एन.आई.एल./भानु/2023/362 दिनांक 08.12.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मेटाबोदली एवं छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के गिधाली स्थित बेनीफिकेशन संयंत्र में बेनीफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी (रिजेक्ट) कुल मात्रा 1,65,219.761 मीट्रिक टन को डिस्पोज करने हेतु आपका आवेदन दिनांक 19.05.2023 प्राप्त हुआ है। बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,65,219.761 मै.टन को चयनित विभिन्न स्थानों/खसरों में डिस्पोज/उपयोग करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 450/खनि.लि./जनरल/2023-24 बालोद दिनांक 22.09.2023 द्वारा अनुमति 01 वर्ष की कालावधि हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई।

पूर्व जारी आदेश दिनांक 22.09.2023 के अनुपालन में आपके द्वारा अनुपयोगी (Reject) मात्रा 1,65,219.761 मै.टन में से 1,19,408.29 मै.टन मात्रा का डिस्पोज पूर्व निर्धारित स्थानों में आपके द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में 45,811.471 मै.टन मात्रा का डिस्पोज किया जाना शेष है। पूर्व स्वीकृत स्थानों पर अनुपयोगी का भराव हो चुका है व अन्य कारण स्थानीय मुद्दा के कारण भराव नहीं हुआ है तथा फसल लगने के कारण भराव नहीं संबंधित कारण दर्शाते हुए नवीन जगहों/स्थानों पर अनुपयोगी (Reject) को डिस्पोज करने हेतु आपके द्वारा लेख किया गया है। उक्त शेष मात्रा 45,811.471 मै.टन को चयनित नवीन स्थान/खसरों में डिस्पोज करने हेतु दिनांक 21.09.2024 तक की समयावधि तक निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-


01- बचत अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नानुसार नवीन चयनित खसरों/स्थानों पर किया जाना होगा।

क्र.	भू-स्वामी का नाम एवं पता	भूमि का विवरण	खसरा नं.	रकबा हे.मे
1	श्री शंभू राम पिता-मानसिंह	ग्राम वैहाकुंआ प080न0 33, तहसील डीण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)	434/1, 434/3	0.70, 0.19.
2	श्री दीनदयाल पिता-मानसिंह	ग्राम वैहाकुंआ प080न0 33, तहसील डीण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)	434/2, 434/4	0.71, 0.19.

3	श्री दयाराम साहू आ. चतुर सिंह साहू	ग्राम कामता प.ह.न. 58 तहसील डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)	125/1,	0.41
4	श्री टिकेश्वर सोनकर पिता-कन्हैया लाल सोनकर	ग्राम गोदुलमुंडा प.ह.न.12 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	25/2 ,	0.21
5	श्रीमती पूर्णिमा देवी पति स्व. विषय लाल धनकर	ग्राम कुसुमकसा प.ह.न. 08 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	352/4	0.02
6	श्रीमती अघनी बाई पति स्व. खोरबाहरा राम साहू	ग्राम कुसुमकसा प.ह.न. 06 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	748/1 ,	1.335
7	श्री जनक लाल आत्मज खोरबाहरा राम	ग्राम कुसुमकसा प.ह.न. 06 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	805,	1.82,
8	श्री चोमनलाल कोरेटी आ. अमरराम कोरेटी प	ग्राम-बिटाल प.ह.न. 08 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	198/3	0.14
9	श्री विरेन्द्र कुमार डडेसना आत्मज रामरत्ती डडेसना	ग्राम कुसुमकसा तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	30/1 , 75,87,	0.66, 0.61, 0. 95,
10	श्री धरमचंद सोनी आत्मज गोपाल चंद सोनी	ग्राम-गोदुलमुंडा प.ह.न. 12 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	8/9 .	0.02 (2178. sq.fit)
11	श्री नारद राम गोंड आ. पूसचराम गोंड	ग्राम-बिटाल चिकलाकसा प.ह. न. 08 तहसील डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)	362/2 ,	0.33
12	श्री भुवनेश्वर आ. नागासाय	ग्राम-भरदा तहसील लौहारा जिला-बालोद (छ.ग.)	1486/1 ,1486/2, 1486/3	0.13 ,0.18, 0. 10
13	श्री प्रेमचंद जैन आ. धरम चंद जैन	ग्राम-कारुटोला, चिखलाकसा, तह. डौण्डी, जिला-बालोद	202, 203/2	0.07, 0.48
14	श्री दीपक अग्रवाल, श्री अग्रसेन राईस मिल	ग्राम-चिल्हाटी खुर्द, तह. डौण्डी लोहारा, हल्का नं. 33, जिला-बालोद	266/9	0.25.

02- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।  
03- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।

- 04- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गद्ढा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।
- 05- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- 06- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गद्ढा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।
- 07- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।
- 08- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा
- 09- यह अनुमति बचत अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 45811.471 मै.टन के डिस्पोज करने हेतु आदेश जारी, से दिनांक 21.09.2024 के लिए वैध रहेगी।

  
खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

पृ. क्रमांक :-  
प्रतिलिपि :-

/खनि.लि./जनरल/2023-24

बालोद दिनांक:-

- 01- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल चुतुर्थ फ्लोर, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 02- स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 03- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 04- तहसीलदार डौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05- खनि निरीक्षक, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ - 491226 Email: [miningbalod@gmail.com](mailto:miningbalod@gmail.com)  
 क्रमांक :- 836 / खनि.लि./जनरल/2022 बालोद दिनांक:- 23/11/2022

प्रति,

प्रबंधक (खदान)

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
 सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, बिलासपुर रोड,  
 सिलतरा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने की अनुमति के संबंध में।  
 संदर्भ :- श्री टी. प्रसन्ना कुमार, अध्यक्ष (खदान) वास्ते मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आवेदन पत्र क्रमांक जे.एन.आई.एल./माईन्स/2023/257 दिनांक 20.09.2022

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जांच उपरांत मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायपुर द्वारा मेटाबोदेली स्थित लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के बेनीफिकेशन पश्चात् दिनांक 01.12.2019 से 31.08.2022 तक प्राप्त अनुपयोगी (रिजेक्ट) कुल मात्रा 1,09,930.557 मै. टन में से 50,000.00 मै.टन को डिस्पोज करने, खनिज का उपयोग हेतु उल्लेखित स्थलो/स्थानो पर जारी आदेश दिनांक से 6 माह की अवधि हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ खनिज परिवहन हेतु अनुमति दिया जाता है :-

01- अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नांकित स्थलों पर किया जाना होगा।

क्र.	भू-स्वामी	पता	खसरा न.	रकबा (हे.)
1	कोमलचंद पिता राजमल	ग्राम अंडी डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा जिला बालोद	639/2	0.24
			638/1	0.31
2	कमलेश कुमार पिता फूलचंद जैन	ग्राम अंडी डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा जिला बालोद	90/2	0.49
			250	0.38
3	खिलेन्द्र पिता इंद्रावन सिंह	टिकरापारा डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा जिला बालोद	16	1.040
4	दीपक पिता हजारीमल जैन	पुराना बरारटंड डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा जिला बालोद	1380/1	0.3340
5	हजारीमल पिता बस्तीमल जैन	पुराना बरारटंड डौंडी लोहरा तहसील डौंडी लोहरा जिला बालोद	31/3	0.11

F:/Trilok/General letter- 62

02- अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग बंद खदानों एवं गांव की सड़कों गड्ढों को भरने, जमीन समतलीकरण आदि में ही उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात् उक्त स्थान को मिट्टी या मुरूम से ढकना होगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का दलदल क्षेत्र या दुर्घटना जैसी स्थिति निर्मित न हो।

03- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।

04- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।

05- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गड्ढा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।

06- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।


07- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गड्ढा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।

08- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।

09- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

10- यह अनुमति अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 50,000.00 मै.टन के डिस्पोज करने हेतु आदेश जारी दिनांक से छः माह के लिए वैध रहेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित )

  
खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

पृ. क्रमांक :- /खनि.लि./जनरल/2022

बालोद दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

01- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, द्वितीय तल चुतुर्थ फ्लोर, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02- स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) झौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

04- तहसीलदार झौण्डीलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05- खनि निरीक्षक, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

पत्र क्र. 33/खनि.लि./जनरल/2023-24 | 20/04/23

प्रति,

✓ अध्यक्ष (खदान)

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, बिलासपुर रोड,  
सिलतरा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- भेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने की अनुमति के संबंध में।  
संदर्भ :- अध्यक्ष (खदान) मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्रमांक/जे.एन. आई.एल./भानु/2023/50-रिवी. 01 दिनांक 20.03.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला बालोद के ग्राम गिधाली स्थित मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड के क्रशिंग, स्क्रीनिंग एवं बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त बचत अनुपयोगी (Reject) मात्रा 50,960.857 मै.टन को नवीन स्थलों में डिस्पोज करने हेतु आपके द्वारा दिनांक 20.03.2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

दिनांक 01.12.2019 से 31.8.2022 तक बेनीफिकेशन उपरांत प्राप्त अनुपयोगी (Reject) कुल मात्रा 1,09,930.557 मै.टन संयंत्र में ही एकत्रित खनिज को डिस्पोज करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 836/खनि.लि./जनरल/2022 बालोद दिनांक 23.11.2022 के द्वारा कुल मात्रा 1,09,930.557 मै.टन में से 50,000.00 मै.टन को तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1117/खनि.लि./जनरल/2022-23 बालोद दिनांक 24.02.2023 के द्वारा बचत मात्रा 59,930.557 मै.टन में से 54,930.557 मै.टन डिस्पोज करने अनुमति प्रदान की गई है।

पूर्व जारी आदेश दिनांक 24.02.2023 के अनुपालन में आपके द्वारा अनुपयोगी (Reject) मात्रा 54,930.557 मै.टन में से 3,969.700 मै.टन मात्रा का डिस्पोज पूर्व निर्धारित स्थानों में आपके द्वारा किया जा चुका है। वर्तमान में 50,960.857 मै.टन मात्रा का डिस्पोज किया जाना शेष है, कि चूंकि उक्त जगहों पर अनुपयोगी (Reject) की मात्रा का भराव किया जा चुका है और अधिक भराव नहीं किया जा सकता, आपके द्वारा लेख किया गया है। खनि निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार उक्त शेष मात्रा 50,960.857 मै.टन को चयनित नवीन स्थान/खसरो में डिस्पोज करने हेतु दिनांक 23.08.2023 तक की समयावधि निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

01- बचत अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नानुसार नवीन चयनित खसरो/स्थलों पर किया जाना होगा।

क्र.	मू-स्वामी	पता	खसरा न.	रकबा (डि.)	रकबा एकड़
1	राम्हीन जीजे फूसालाल	डॉडीलोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.	9, 15/7	2.62/0.03	6.55
2	ताराचंद आत्मज फूसालाल	डॉडीलोहारा, जिला-बालोद, छ.ग.	423	0.40	0.99
3	रामदास उपाध्याय आत्मज रव. श्री वैजनाथ	ग्राम-दल्लीराजहरा, मिथलाकरा, तहसील डीडी, जिला-बालोद, छ.ग.	013/2	0.8	1.98

✓ 4	श्रीमती सुशीला देवी जोजे श्री मुक्तिनाथ	ग्राम- धुरुवाटोला, तह. डोंडो, जिला-बालोद, छ.ग.	358/1	0.37	0.91
✓ 5	श्रीमती सुशीला देवी जोजे श्री मुक्तिनाथ	ग्राम-नरटोला, तह. डोंडो, जिला-बालोद, छ.ग.	294/3	0.40	0.99
✓ 6	श्रीमती सुमित्रा देवी जैन जोजे श्री धरमचंद्रजैन	ग्राम-गोदुलगांवा, तह. एवंजिला-बालोद, छ.ग.	25/5	0.42	1.04
7	कृष्ण कुमार आत्मज रंजीत	ग्राम-आगरटोला, तह. डोंडो, जिला-बालोद, छ.ग.	67/2	0.32	0.79
8	योगेश सिंह आत्मज रामापीन	ग्राम-आगरटोला, तह. डोंडो, जिला-बालोद, छ.ग.	67/1	0.32	0.79
✓ 9	दीपक भित्तल जैन आत्मज सुभाषचंद्र जैन	ग्राम- चिखलाकरसा, तह. डोंडो जिला- बालोद, छ.ग.	463	0.35	0.86
✓ 10	प्रहलाद जैन आत्मज श्री सुभाषचंद्र जैन	ग्राम- नरटोला, तह. डोंडो जिला- बालोद, छ.ग.	25, 276/2	0.16/0.70	2.13
कुल					17.03

02- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।

03- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।

04- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गड्ढा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।


05- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

06- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गड्ढा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।

07- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।

08- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

09- यह अनुमति बचत अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 50.960.857 मै.टन को आदेश जारी दिनांक से दिनांक 23.08.2023 तक के लिए वैध रहेगी।



खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

बालोद दिनांक:-

पृ. क्रमांक :- /खनि.लि./जनरल/2023-24

प्रतिलिपि :-

01- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्मा, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल चतुर्थ फ्लोर, नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02- स्टैनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03- अनुविभागीय अधिकारी (सा.) डोंडोलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

04- तहसीलदार डोंडोलोहरा, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05- खनि निरीक्षक, जिला बालोद(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

खनि अधिकारी  
जिला-बालोद (छ.ग.)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद, छत्तीसगढ़ - 491226 Email: [miningbalod@gmail.com](mailto:miningbalod@gmail.com)  
फर्मांक :- 450 / खनि.लि./जनरल/2023-24 बालोद दिनांक:- 22.09.2023

प्रति,

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
शिलतरा, ग्रोथ सेन्टर,  
बिलासपुर रोड, शिलतरा रायपुर  
जिला रायपुर(छ.ग.)

विषय :- मेटाबोदली व छोटेडोंगर लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क का बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने बावत्।  
संदर्भ :- श्री टी.प्रसन्ना कुमार, अध्यक्ष (खदान) वारसे मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पत्र क्र. जे.एन.आई.एल./भानु/2023/ 135 दिनांक 19.05.2023

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मेटाबोदली एवं छोटेडोंगर लौह अयस्क खदानों से प्राप्त मिश्रित निम्न ग्रेड लौह अयस्क के गिधाली स्थित बेनीफिकेशन संयंत्र में बेनीफिकेशन पश्चात् अनुपयोगी (रिजेक्ट) कुल मात्रा 1,65,219.761 मीट्रिक टन को डिस्पोज करने हेतु आपका आवेदन प्राप्त हुआ है।

बेनीफिकेशन पश्चात् प्राप्त अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,65,219.761 मै.टन को चयनित विभिन्न स्थानों/खसरों में डिस्पोज/उपयोग करने हेतु जारी आदेश दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनुपयोगी (रिजेक्ट) को परिवहन किये जाने की अनुमति दी जाती है:-

01- अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नांकित स्थलों पर किया जाना होगा।

क्र.	मू-स्वामी का नाम एवं पता	भूमि का विवरण	खसरा नं.	रकबा हे. में
1	श्रीमति भवरीदेवी सोनी पति धरमचंदसोनी ग्राम चिखलाकसा दल्ली राजहरा तह. डौंडी, जिला -बालोद (छ.ग.)	ग्राम चिखलाकसा दल्लीराजहरा तह. डौंडी बालोद(छ.ग.)	1418	2.06
2	श्रीमति रूखमणी बाई पति मुरलीधर लोहिया ग्रामवार्ड न. 12 चिखलाकसा दल्लीराजहरा तह. डौंडी जिला-बालोद(छ.ग.)	ग्रामवार्ड न. 12 चिखलाकसा, दल्लीराजहरा, तह. डौंडी बालोद(छ.ग.)	601/1	1.00
3	आदिम जाति सेवा सहकारी समिति ग्राम गैजी डौंडीलोहारा जिला बालोद(छ.ग.)	ग्राम गैजी डौंडीलोहारा जिला बालोद(छ.ग.)	239	1.65
4	आशुतोष माथुर पिता एस. आर. माथुर ग्राम चिखलाकसा दल्लीराजहरा तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	ग्राम खमारटोला तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	6/3	0.96
5	किशन कुमार पटेल पिता स्व. नंदकुमार डौंडी लोहारा तह. डौंडीलोहारा जिला बालोद(छ.ग.)	डौंडीलोहारा तह. डौंडीलोहारा जिला बालोद(छ.ग.)	32/1	0.04
6	नरीव पिता भागीराम ग्राम कुसुमकसा तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	ग्राम कुसुमकसा तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	235/9 210/10	0.0200 0.0243
7	नगर पंचायत चिखलाकसा तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	शाराकीय भूमि (आंगनवाड़ी प्रस्तावित भूमि) चिखलाकसा तह. डौंडी जिला बालोद(छ.ग.)	475	0.55

8	किरण जैन पिता गनोज जैन वार्डनं. 4 दल्लीराजहरा तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम जगही कुरुगकरा तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	133 / 1	1.42
9	चंदाबाई पति सुभाषजैन वार्डनं. 4 दल्लीराजहरा तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम जगही कुरुगकरा तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	133 / 2	1.42
10	एनुका रावा पिता शिवाराम रावा वार्डनं. 8 राजापारा डौंडीलोहारा जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम कागता डौंडीलोहारा जिला वालौद(छ.ग.)	143 / 6	0.04
11	ताराचंद पिता फूलालाल ग्राम डौंडीलोहारा जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम डौंडीलोहारा जिला वालौद(छ.ग.)	423	0.40
12	कुशकुमार पिता रंजीत ग्राम आवारटोला तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम आवारटोला तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	67 / 2	0.32
13	कोमल सिंह पितारामाधीन ग्राम आवारटोला तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	ग्राम आवारटोला तह. डौंडी जिला वालौद(छ.ग.)	67 / 1	0.32
14	म.प्र.शा.आ.जाति कल्याण वि.शा.उ.म.शा. सहगाँव स्वागित्व शासकीय भूमि जिला वालौद(छ.ग.)	म.प्र.शा.आ.जाति कल्याण वि. शा.उ.म.शा. सहगाँव स्वागित्व शासकीय भूमि जिला वालौद(छ.ग.)	566 / 2	0.30

02- जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।

03- परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संधारित करना होगा।

04- एक स्थान का कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गढ़दा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।

05- किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जांच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

06- कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गढ़दा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।

07- प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।

08- आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा

09- यह अनुमति अनुपयोगी (रिजेक्ट) मात्रा 1,65,219.761 मै.टन के डिस्पोज करने हेतु आदेश जारी दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त कलेक्टर एवं  
प्र.खनिज अधिकारी  
मुंबई-वालौद (छ.ग.)

पृ. क्रमांक :- /खनि.लि./जनरल/2023-24

वालौद दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

01- संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल चुतुर्थ फ्लोर, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

(3)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

फोन 07749 - 223930, फैक्स 07749 - 223930, Email: minforbalod@gmail.com

क्रमांक - 454 / खनि.लि./खनिज / 2022

बालोद दिनांक:- 17/06/2022

प्रति

श्री डी प्रसन्ना कुमार  
अध्यक्ष (खदान)  
मेसर्स जायसवाल निवो इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, जिला रायपुर (छ0ग0)

विषय:- मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने के संबंध में।

संदर्भ:- (1) इस कार्यालय का आदेश पत्र क्रमांक 187, दिनांक 28.02.2022 एवं (2) आपका आवेदन क्र. 2044, दिनांक 09.06.2022

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (1) के माध्यम से आपको मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 187, दिनांक 28.02.2022 के अनुसार दिनांक 26.02.2022 से 25.02.2023 तक के लिए परिवहन अनुमति है, जिसमें उल्लेखित 07 स्थलों में अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने आदेश दिया गया है।

उक्त अनुमति/आदेश में उल्लेखित शर्तों अनुसार नीचे उल्लेखित स्थानों के अतिरिक्त निम्न स्थलों पर मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा स्थापित क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र में वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् अनुपयोगी (Reject) खनिज को परिवहन कर डिस्पोज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र०	मू-स्वामी का नाम	पता	खसरा नं.	रकबा (हे०)
1	टिकेन्द्र पिता राखन	ग्राम-गिधाली, तहसील-डोण्डी, जिला बालोद	116	0.3800
2	सन्तति एजुकेशन सौरावटी डोण्डी लौहारा	ग्राम कामता, वि.ख. डोण्डी, जिला बालोद	317/1, 317/2	0.3000 0.2500

17/06/22

सहायक खनि अधिकारी,

जिला बालोद (छ0ग0)

बालोद दिनांक:-

पू०क्र० :-  
प्रतिलिपि- / खनि लि./खनिज/2022

1. स्टर्ना-टू-कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनाार्थ प्रेषित हैं।

सहायक खनि अधिकारी,

जिला बालोद (छ0ग0)

जिला बालोद (छ0ग0)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ0ग0)

फोन 07749 - 223930, फैक्स: 07749 - 223930, Email: miningbalod@gmail.com

क्रमांक :- 187 / खनि.लि. / परि.अनु. / 2021-22

बालोद दिनांक:- 28/02/22

प्रति,

श्री टी. प्रसन्ना कुमार,  
प्रबंधक (खदान),  
मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, जिला रायपुर (छ0ग0)

विषय:- मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर वेट कसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने अनुमति संबंध में।

संदर्भ:- आपका आवेदन दिनांक 26.02.2022

---000---

संदर्भित विषयांतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जांच उपरांत मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायपुर द्वारा मेटाबोदेली स्थित लौह अयस्क खदान से निम्न श्रेणी लौह अयस्क को जिला बालोद स्थित ग्राम गिधाली में मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड द्वारा स्थापित क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग के पश्चात् दिनांक 30.12.2019 की स्थिति में बचने वाले अनुपयोगी खनिज मात्रा 116210.25 MT में से दिनांक 25.02.2022 की स्थिति में बची हुई मात्रा 71999.390 MT को डिस्पोज करने हेतु अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग बंद खदानों एवं गांव की सड़को गड्डों को भरने, जमीन समतलीकरण आदि में उपयोग करने हेतु उल्लेखित स्थलों/स्थानों पर दिनांक 26.02.2022 से 25.02.2023 तक 01 वर्ष की अवधि हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ खनिज परिवहन हेतु अनुमति दिया जाता है:-

1. अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग निम्नांकित स्थलों पर किया जाना होगा।

क्र0	नू-स्वामी का नाम	पता	खसरा नं.	रकबा (हे0)
1	रामेन्द्र कुमार	ग्राम-गिधाली, तहसील-डोण्डी, जिला बालोद	101/2,106/2	0.68
2	सुरेश कुमार जैन	दुर्गा चौक, मेन रोड डोण्डी, बालोद	150/11	0.07
3	नरेन्द्र सिंह तुला	मानपुर चौक खम्हारटोला, डोण्डी, जिला बालोद	9/4	0.07
4	अश्विन पटेल	गंजपाथ बालोद, जिला बालोद	1102/12	0.110
5	सविता पति श्री प्रमोद	ग्राम-कागता, तहसील-डोण्डी लोहारा, जिला बालोद	144/13, 143/09	0.72, 0.75
6	पूनम जैन पति श्री कमलेश	ग्राम साबलपुर, तह. डोण्डी लोहारा, बालोद	197	1.23
7	कमलेश पिता फूलचंद	ग्राम साबलपुर, तह. डोण्डी लोहारा, बालोद	205/02, 205/03	0.50, 0.41

2. अनुपयोगी रिजेक्ट खनिज का उपयोग बंद खदानों एवं गांव की सड़को गड्डों को भरने, जमीन समतलीकरण आदि में ही उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात् उक्त स्थान को मिट्टी या मुर्रम से ढकना होगा, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का दलदल क्षेत्र या दुर्घटना जैसी स्थिति निर्मित ना हो।

क्रमशः 2 पर

//2//

3. जिला कार्यालय खनिज शाखा से उक्त खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जावेगा। बगैर पारपत्र/अनुमति के खनिजों का परिवहन अवैध होगा।
4. परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा संघारित करना होगा।
5. एक स्थान का कार्य पूर्ण करने पश्चात् कार्यालय में उक्त कार्य का फोटोग्राफ्स सहित खनिज की मात्रा का पूर्ण तथा सही लेखा विवरणी प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात् दूसरे स्थान का समतलीकरण/गढ़दा भराई कार्य प्रारंभ करेगा।
6. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने एवं जाँच में सही पाये जाने पर उपरोक्त जारी अनुमति 10 दिवस की सूचना देते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
7. कंपनी यह सुनिश्चित करेगा कि गंतव्य स्थान में समतलीकरण/गढ़दा भराई ठीक से पूर्ण हो गया है, जिससे किसी भी प्रकार जान माल की हानि ना हो।
8. प्रत्येक तीन माह में विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में गंतव्य स्थान का जाच किया जावेगा।
9. आवेदक संस्थान को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. यह अनुमति दिनांक 26.02.2022 से 25.02.2023 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी।  
(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)

28/02/2022  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर बालोद(छ0ग0)  
बालोद दिनांक:.....

क्रमांक : /खनि.लि./परि.अनु./2021-22  
प्रतिलिपि:-

1. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग. रायपुर, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टैनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), डौण्डी, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार, तहसील डौण्डी, जिला - बालोद को सूचनार्थ।
5. खनिज निरीक्षक, जिला बालोद को सूचनार्थ।

- सही -  
सहायक खनिज अधिकारी  
वास्ते कलेक्टर बालोद(छ0ग0)

## कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालोद (छ०ग०)

फोन: 07740 - 223030, फैक्स: 07740 - 223030, ईमेल: m@balod@gov.in  
क्रमांक :- 341 / खनि.लि./ खनिज / 2021

बालोद दिनांक: 26/02/2021

प्रति,

श्री टी. प्रसन्ना कुमार,  
अध्यक्ष (खदान),  
मेसर्स जायसवाल निचो इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, जिला रायपुर (छ०ग०)



विषय- मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने के संबंध में।  
संदर्भ- (1) इस कार्यालय का आदेश पत्र क्रमांक 856, दिनांक 26.02.2021 एवं (2) आपका आवेदन क्र. 434, दिनांक 20.11.2019

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (1) के माध्यम से आपको मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् प्राप्त होने वाले अनुपयोगी खनिज को डिस्पोज करने इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 856, दिनांक 26.02.2021 के अनुसार दिनांक 26.02.2021 से छः माह तक के लिए अनुमति/आदेश दिया गया है।

उक्त अनुमति/आदेश में उल्लेखित शर्तों अनुसार नीचे उल्लेखित स्थानों पर मेटाबोदेली लौह अयस्क खदान से प्राप्त मिट्टी युक्त मिश्रित लौह अयस्क परिवहन कर मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इत्यान लिमिटेड द्वारा स्थापित क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग संयंत्र में वेट क्रसिंग एवं स्क्रीनिंग करने पश्चात् अनुपयोगी (Reject) खनिज को परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र०	सू-स्वामी का नाम	पता	खसरा नं.	रकबा (हे०)
1	सविता पति श्री प्रेमचंद	ग्राम-कामता, तहसील-डौण्डी लोहारा, जिला बालोद	144/13, 143/09	0.72, 0.75
2	पूनम जैन पति श्री कमलेश	ग्राम सम्बलपुर, तह. डौण्डी लोहारा, बालोद	197	1.23
3	कमलेश पिता फूलचंद	ग्राम सम्बलपुर, तह. डौण्डी लोहारा, बालोद	205/02, 205/03	0.50, 0.41
योग				3.61

पृ०क० :- 349 (1)  
प्रतिलिपि- / खनि लि./ खनिज / 2021

सहायक खनि अधिकारी  
जिला बालोद (छ०ग०)  
बालोद दिनांक: 26/02/2021

1. स्टेनो-टू-कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक खनि अधिकारी  
जिला बालोद (छ०ग०)

छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर-492 002

क्रमांक एफ 3-32/1995/12,  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/6/2022

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,  
सिलतरा, ग्रोथ सेंटर,  
विलासपुर रोड, सिलतरा,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)-493111.

विषय:- जिला उत्तर बस्तर कांकेर स्थित मेटाबोदली लौह अयस्क खदान के कुल रकबा 25.00 हेक्टेयर क्षेत्र से उत्पादित हो रहे लौह अयस्क फाईन्स (जिसमें Fe content 60 प्रतिशत से नीचे है) को ग्राम गिधाली, जिला बालोद में स्थित मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के बेनीफिशियेशन संयंत्र में क्रशिंग, स्क्रीनिंग एवं बेनीफिकेशन करने एवं बेनीफिशियेशन के पश्चात् जिला रायपुर के सिलतरा में स्थित स्वयं के इस्पात संयंत्र में परिवहन हेतु बदल पीट पास जारी करने के संबंध में अनुमति प्रदान करने बाबत।

संदर्भ:- आपदा पत्र क्र./जेएनआइएल/छोटेडोंगर/2022/973, दिनांक 09.02.2022.

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। इस संबंध में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को प्रेषित करते हुए प्रकरण का नियमानुसार परीक्षण कर अभिमत/प्रस्ताव उपलब्ध कराने बाबत विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 23.03.2022 द्वारा लिखा गया था, जिसके संदर्भ में संचालनालय ने अपने पत्र दिनांक 26.04.2022 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

2/ पूर्व में मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रश्नाधीन खनिज क्षेत्र से उत्पादित लौह अयस्क सबग्रेड (जिसमें Fe content 58 प्रतिशत से नीचे है) को ग्राम गिधाली, जिला बालोद स्थित मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के बेनीफिशियेशन संयंत्र में दिनांक 17.05.2021 यथा संशोधित दिनांक 26.06.2021 द्वारा 01 वर्ष के लिए क्रशिंग, स्क्रीनिंग एवं बेनीफिकेशन करने एवं परिवहन हेतु बदल पीट पास जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 16.05.2022 को समाप्त हो रही है।

3/ खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18.04.2022 द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

- 3.1 मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम गिधाली, बालोद में खनिज लौह अयस्क का अस्थाई भण्डारण अनुज्ञप्ति मात्रा 80,000 मेट्रिक टन (एक समय में) हेतु दिनांक 31.03.2016 से 30.03.2026 तक 10 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के अधीन विभिन्न शर्तों के तहत नियमानुसार अनुमति प्राप्त है।
- 3.2 मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, गिधाली, जिला बालोद को लौह अयस्क क्रशिंग-स्क्रीनिंग, उत्पादन क्षमता को 1.2 से 1.5 एमटीपीए की पर्यावरण स्वीकृति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के आदेश दिनांक 05.07.2021 द्वारा अनुमति प्राप्त हुई।
- 3.3 मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज को स्वीकृत मेटाबोदली लौह अयस्क खनिज क्षेत्र से लौह अयस्क फाईन्स (Fe content 58% से कम) 5,86,153.09 मे. टन प्राप्त किया जाकर प्रोसेस किया गया है।
- 3.4 निरीक्षण दिनांक 13.04.2022 की स्थिति में ग्राम गिधाली स्थित स्क्रीनिंग एण्ड क्रशिंग प्लांट में 61.83% Fe युक्त उपयोगी खनिज 1871.942 मे. टन, 38.03% Fe युक्त अनुपयोगी खनिज 1.44775488 मे टन तथा 56.30% Fe युक्त Unprocessed Raw Material 31,356946 मे. टन विद्यमान है।

4/ संचालनालय में यह भी अवगत कराया है कि आवेदक संस्थान ने भारतीय खान ब्यूरो द्वारा उक्त खान हेतु अनुमोदित खनन योजना का अवधि 2022-23 से 2026-27 के अनुसार खदान से ROM का 60% लौह अयस्क फाईन्स (जिसमें Fe content 60% से नीचे एवं 45% से ऊपर तथा साईज-20 mm है ) प्राप्त होना दर्शाया गया है। जिसे बेनीफिकेशन करने हेतु बेनीफिकेशन संयंत्र में प्रेषण किये जाने की आवश्यकता है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक कुल 49,79,987 टन ROM प्राप्त होना प्रस्तावित है, जिसमें से 60% अर्थात् 29,87,992.20 टन लौह अयस्क फाईन्स प्राप्त होना प्रस्तावित किया गया है। अर्थात् प्रतिवर्ष 5,97,598.44 टन लौह अयस्क फाईन्स प्राप्त होना प्रस्तावित है।

5/ अतएव उपरोक्तानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 28.03.2018, 17.10.2019 एवं 17.05.2021 द्वारा जारी पूर्व अनुमतियों के अनुक्रम में खनिज के संरक्षण तथा समुचित दोहन के दृष्टिकोण से राज्य शासन, एदतद्वारा, मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्वीकृत मेटाबोदली लौह अयस्क खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित हो रहे लौह अयस्क फाईन्स को मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के ग्राम गिधाली, जिला बालोद में स्थित संयंत्र में अनुमोदित खनन योजना की अवधि (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) के लिए खनन योजना में दर्शित मात्रानुसार लौह अयस्क फाईन्स (जिसमें Fe content 60 प्रतिशत से नीचे है) को क्रसिंग, स्क्रीनिंग एवं बेनीफिकेशन करने तथा बदल पीट पास जारी करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :-

- 5.1 आवेदक संस्थान को स्वीकृत लौह अयस्क खनिपट्टा केक्टिव उपयोग प्रयोजनार्थ होने के फलस्वरूप ग्राम गिधाली, जिला बालोद स्थित मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र से निकलने वाले समस्त प्रोसेस्ड/अनप्रोसेस्ड मटेरियल का उनके निर्धारित एण्ड यूज प्लांट में ही खपत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5.2 खनिपट्टा क्षेत्र से उपरोक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित लौह अयस्क फाईन्स (जिसमें Fe content 60 प्रतिशत से नीचे है) के प्रेषण योग्य मात्रा की उपलब्धता, खनिपट्टा हेतु आईवीएम द्वारा अनुमोदित खनन योजना में दर्शित मात्रा के अनुरूप होगी।
- 5.3 ग्राम गिधाली, जिला बालोद स्थित मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में खान से प्राप्त लौह अयस्क एवं प्रोसेस्ड/अनप्रोसेस्ड मटेरियल एवं संयंत्र से एण्ड यूस्ड प्लांट को प्रेषित किये गये मटेरियल की विस्तृत जानकारी का संधारण अद्यतन रूप में रखा जावेगा तथा पट्टेधारी एवं अनुज्ञापत्रधारी संयंत्र/संस्थान द्वारा प्रतिमाह इसकी जानकारी खनि अधिकारी बालोद एवं कांकर को प्रेषित किया जाना होगा।
- 5.4 खनिपट्टाधारी द्वारा क्रसिंग, स्क्रीनिंग एवं बेनीफिकेशन से उत्पन्न रिजेक्ट मटेरियल (खनिज अपशिष्ट) का डिस्पोजल छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 के नियम-4 के उपनियम(7) के प्रावधानांतर्गत किया जावेगा। रिजेक्ट मटेरियल का डिस्पोजल राज्य शासन की अनुमति से ही किया जाना होगा।
- 5.5 प्रत्येक तीन माह में क्रसिंग/रिजेक्शन अनुपात की जांच खनि अधिकारी बालोद द्वारा आवेदक संस्थान के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जावेगा।
- 5.6 आवेदक संस्थान/मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को पर्यावरण सम्मति के समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.7 आवेदक कम्पनी/मेसर्स गोदावरी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को विधि के अनुकूल प्रावधानित शर्तों के उल्लंघन/अतिघार पर इस अनुमति को एक पक्षीय निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(जय प्रकाश मौरी)

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
खनिज साधन विभाग



### प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट अनुपयोगी रिजेक्ट मटेरियल को डिस्पोज करने की प्रक्रिया

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लौह अयस्क खदान मेटाबोदेली एवं छोटेडोंगर से प्राप्त निम्न ग्रेड के लौह अयस्क फाईन्स का प्रसंस्करण करने हेतु मेसर्स निको माईनिंग कंपनी प्रा० लि० के साथ अनुबंध किया गया है। जिसके तहत मेसर्स निको माईनिंग कंपनी प्रा० लि० निम्न ग्रेड आयरन फाईन्स का प्रसंस्करण करके उत्पादित मटेरियल को मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड रायपुर को पूरे मापदण्ड को पालन करते हुए प्रेषण किया जाता है तथा प्रसंस्करण से फिल्टर प्रेस के द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट को संयंत्र परिसर में एकत्रित किया जाता है एवं प्रक्रिया में उत्सर्जित जल को पुनः प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जिसकी मात्रा नगण्य होती है जो कि परिशिष्ट जल के द्वारा वहकर निकलता है उसको संयंत्र में बने गढ्ढों में एकत्रित किया जाता है एवं उसे प्राकृतिक रूप से सूखने दिया जाता है। उसमें उपस्थित अतिरिक्त जल को पुनः प्रसंस्करण प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है।

उत्सर्जित अपशिष्ट संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा रासायनिक विश्लेषण किया जाता है। रासायनिक विश्लेषण परिणामों के आधार पर अपशिष्ट में लौह (Fe) का प्रतिशत 23.08 से 27.69 पाया गया है। जो औद्योगिक महत्व की नहीं है। उक्त अपशिष्ट का अन्य प्रयोजन में उपयोग किया जा संकता है बताया गया है। (संचालनालय के पत्र क्रमांक भौमिकी/प्र.क्र. 2001/2019 दिनांक 9 अप्रैल 2024 की प्रति परिशिष्ट 1 में संलग्न है)

उक्त उत्सर्जित अपशिष्ट के विभिन्न लाभ (कृषि कार्य, निम्न क्षेत्रों में भराव हेतु आदि) को देखते हुए कई कृषक एवं भूस्वामी अपने निजी भूखण्ड पर उपयोग करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें नियमतः अपशिष्ट के स्वामी (जायसवाल निको) को आवेदन प्रस्तुत करता है, उस आवेदन के आधार पर जायसवाल निको का अधिकृत कर्मचारी द्वारा उक्त स्थान का स्थल निरीक्षण करता है। यदि भूखण्ड स्थल उपयुक्त पाया जाता है तो उसे 50 रु के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र तैयार कर नोटरीकृत किया जाता है। जिसमें जायसवाल निको, भूस्वामी व उनके द्वारा चयनित भूखण्ड का पूर्ण विवरण (रकबा, खसरा, नक्शा आदि) उल्लेखित किया जाता है। उक्त सहमति पत्र को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बालोद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तत्पश्चात् खनिज कार्यालय बालोद के अधिकारी के द्वारा सहमति पत्र की जांच करने के पश्चात् आवेदित भूखण्ड का निरीक्षण कर दोनो पक्षकार (जायसवाल निको, भूस्वामी) तथा खनिज विभाग के मध्य पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामा तैयार करने के पश्चात खनिज अधिकारी जिला बालोद द्वारा अपशिष्ट को उपयुक्त भूखण्ड पर डालने की अनुमति प्रदान की जाती है, अनुमति पत्र क्रमांक/कोपा./अनुपयोगी परिवहन/2024-25 दिनांक 18.11.2024 की प्रति परिशिष्ट 2 में संलग्न है। इस अनुमति पत्र की प्रतिलिपी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर, जिला खनिज विभाग, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंडीलौहारा को भी प्रेषित की जाती है।

अनुपयोगी अपशिष्ट को खनिज शाखा से जारी खनिज परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त कर अनुमति पत्र में निहित शर्तों का पालन करते हुए अनुमति प्राप्त चयनित भूखण्ड पर डम्प किया जाता है डम्पिंग के दौरान जायसवाल निको के द्वारा पानी का टैंकर तैनात किया जाता है एवं परिवहन के दौरान एक श्रमिक दल तैनात रहता है जो निको माईनिंग संयंत्र से डम्पिंग स्थान तक निगरानी करता है। डम्पिंग उपरान्त अनुपयोगी अपशिष्ट को समतलीकरण का कार्य किया जाता है।

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

Annexure-07

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 — आश्विन 14, शक 1940

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

“(7) संबंधित जिला कलेक्टर, आवेदन प्रस्तुत करने पर, पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग अथवा अनुज्ञा पत्र क्षेत्र पर भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग के दौरान एकत्रित अवशिष्ट खनिज को गौण खनिज के रूप में निर्माण गतिविधियों या खनिज संरक्षण की दृष्टि से अन्य कार्यों में उपयोग/विक्रय के लिये अनुमति प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि उप-नियम (7) के अधीन अनुमति दिये जाने के पूर्व, ऐसे गौण खनिजों का प्रतिनिधि नमूना अनुज्ञा क्षेत्र से विभागीय अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जायेगा। इन नमूनों का प्रयोगशाला में आवश्यक परीक्षण किये जाने के उपरांत ही निश्चित मात्रा और निश्चित कालावधि के लिये गौण खनिज के रूप में उपयोग/विक्रय करने की अनुमति दी जायेगी।”

2. प्ररूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप-2

[ (नियम 4 (2)(एक) देखिये) ]

खनिज रियायत धारकों के लिये अभिवहन पास जारी करने हेतु आवेदन पत्र

1. पट्टा/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र/  
परिवहन अनुमति धारक का नाम और पता .....
2. पूर्ण पता .....
3. स्थल की अवस्थिति
  - (क) खसरा क्रमांक .....
  - (ख) रकबा .....
  - (ग) ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम.....
  - (घ) तहसील/जिला .....
4. खनिज का नाम .....
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण सम्मति जारी होने का दिनांक और अवधि .....
6. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सम्मति जारी करने का दिनांक और अवधि .....
7. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सम्मति जारी करने का दिनांक और अवधि .....
8. इस वित्तीय वर्ष ..... हेतु खनन योजना में उत्पादन क्षमता (टन में/घनमीटर में)
9. इस वित्तीय वर्ष ..... हेतु पर्यावरण सम्मति में उत्पादन क्षमता (टन में/घनमीटर में)
10. इस वित्तीय वर्ष .....के दौरान आज दिनांक तक उत्पादन किये गये खनिज की मात्रा .....(टन में/घनमीटर में)
11. इस वित्तीय वर्ष ..... के दौरान आज दिनांक तक निकास किये गये खनिज की मात्रा .....(टन में/घनमीटर में)
12. वर्तमान में परिवहन हेतु आवेदित खनिज की मात्रा .....(टन में/घनमीटर में)

13. रायल्टी रूपये ..... का भुगतान चालान क्र. .... दिनांक ..... द्वारा किया गया
14. अभिवहन पास पुस्तिका का मूल्य रूपये ..... का भुगतान चालान क्र. .... दिनांक ..... द्वारा किया गया।  
(ऑनलाईन अभिवहन पास जारी होने की स्थिति में लागू नहीं)

संलग्न:-सरल क्रमांक 13 एवं 14 के अनुसार।

स्थान :-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

**टीप:-** छत्तीसगढ़ खनिज ( खनन, परिवहन तथा भण्डारण ) नियम, 2009 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 27-07-2009 को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 14-08-2009 के पृष्ठ क्रमांक 1168-1196 में प्रकाशित किया गया था। जिसके हिन्दी पाठ में अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 27-03-2010, 05-08-2013 द्वारा संशोधित किया गया तथा अधिसूचना दिनांक 05-03-2018 के हिन्दी पाठ का अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 25-02-2015 द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मूल नियम को अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 18-03-2015 संशोधित किया गया तथा अंतिम बार अधिसूचना दिनांक 05-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफफत आरा, उप सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 7-9/2003/12, - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 06-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफफत आरा, उप सचिव.

Atal Nagar, the 6th October 2018

NOTIFICATION

No. F 7-9/2003/12.-In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After sub-rule (6) of rule 4, the following shall be added, namely:-

"(7) Collector of concerned District shall grant permission on submission of application for use/sale of abandoned minerals as minor mineral in construction activities or in view of conservation of minerals in other works collected during temporary storage/beneficiation/ processing/crushing of minerals outside lease area or storage beneficiation/processing/crushing at permit area:

Provided that, before grant of permission under sub rule (7) representative samples of such minor minerals shall be collected by the departmental officer from permit area. Permission for use/sale as minor mineral for specific quantity and specified period shall be given after necessary testing of these samples in laboratory."

2 For Form-2, the following shall be substituted, namely: -

"Form-2

[ (See rule 4(2)(i)) ]

APPLICATION FOR ISSUE OF TRANSIT PASS FOR THE MINERAL CONCESSION HOLDERS

1. Name and address of Lease/Licence/Permit/Transported permission holder .....
2. Full address .....
3. Location of venue
  - (a) Khasra number .....
  - (b) Area .....
  - (c) Name of Village/Gram Panchayat .....
  - (d) Tahsil/ District .....

4. Name of mineral .....
5. Date and period of issue of environment clearance under Environment Conservation Act, 1986.....
6. Date and period of issue of consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.....
7. Date and period of issue of consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.....
8. Production capacity in the Mining Scheme for this Financial Year .....  
(in tonne/in cubic meter)
9. Production capacity in the Environment Clearance for this Financial Year .....(in tonne/in cubic meter)
10. Quantity of mineral produced till date during this Financial Year.....(in tonne/in cubic meter)
11. Quantity of mineral dispatched till date during this Financial Year.....(in tonne/in cubic meter)
12. Quantity of mineral applied for present transportation ..... (in tonne/in cubic meter)
13. Royalty of Rupees ..... paid vide Challan Number..... date.....
14. Cost of Transit Pass Book Rupees..... paid vide Challan Number..... date.....  
(not applicable in case of Transit Pass issued online)

Enclosures:- As per Serial number 13 and 14.

Place.....

Date.....

Signature of Applicant .....

Name .....

Address ....."

Note:- For Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, Notification No. F 7-9/2003/12, dated 27-7-2009 issued and published in Chhattisgarh Gazette part-1 dated 14.8.2009 at page no. 1168-1196. The corrigendum made in the original Rules vide notification dated 27-3-2010 and Rules were revised on 27-3-2010, 5-8-2013, 25-2-2015, and 18-3-2015, the original Rules was last updated by notification no. F 7-9/2003/12, dated 5-4-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
EFFAT ARA, Deputy Secretary.

**निरीक्षण प्रतिवेदन**  
(दिनांक 22.03.2024)


क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 535/भौमिकी/न.क्र.201/2019 रायपुर, दिनांक 21.03.2024 के परिपालन में अघोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को भेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को स्वीकृत छोटेडोंगर तथा मेटाबोदली लौह अयस्क जिला बालोद के क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग प्लांट में उत्पादित अनुपयोगी (reject) खनिज अपशिष्ट क्रमशः 72,916.561 मीट्रिक टन एवं 87,390.509 मीट्रिक टन कुल मात्रा 1,60,307.07 मीट्रिक टन के कुल 08 डम्प में भण्डारित किए गए अनुपयोगी (reject) खनिज अपशिष्ट का निरीक्षण एवं वांछित नमूनीकरण खनि निरीक्षक श्री शशांक सोनी, खनि शाखा, जिला बालोद एवं जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। (पंचनामा छायाप्रति संलग्न)

निरीक्षण के दौरान मेटाबोदली क्षेत्र से उत्पादित अपशिष्ट के कुल 04 डम्प में से एक-एक कम्पोजिट नमूने तथा छोटेडोंगर कुल 04 डम्प में से एक-एक कम्पोजिट नमूने पृथक-पृथक एकत्रित किये गए। एकत्रित नमूनों को पूर्णतः तैयार कर विभागीय प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया गया।

एकत्रित नमूनों के रासायनिक विश्लेषण परिणाम निम्नानुसार है।

S.No.	Sample No.	Name of Mine	Chemical Analysis					
			SiO <sub>2</sub> (%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	LOI (%)	Total	Fe (%)
1.	Pond-1	CHHOTEDONGAR	43.44	16.34	33.80	5.97	99.55	23.63
2.	Pond-2		45.58	15.20	33.00	5.72	99.50	23.08
3.	Pond-3		37.80	16.32	38.40	6.95	99.47	26.85
4.	Filter press hip (CD)		38.24	14.76	39.60	6.82	99.42	27.69
5.	Pond-4	METABODLI	37.82	15.00	39.40	7.35	99.57	27.55
6.	Pond-5		39.30	14.12	38.80	7.30	99.52	27.13
7.	Pond-6		38.72	15.62	38.20	6.78	99.32	26.71
8.	Filter press hip (MB)		42.62	16.44	34.40	5.97	99.43	24.05

एकत्रित नमूनों के विश्लेषण परिणामों के आधार पर क्षेत्र में मेटाबोदली तथा छोटेडोंगर लौह अयस्क जिला बालोद के क्रशिंग एवं स्क्रीनिंग प्लांट से उत्पादित अनुपयोगी (reject) में लौह की औसत मात्रा क्रमशः 23.08% से 27.69% पाई गई है, जो औद्योगिक महत्व का प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे अनुपयोगी श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है।

  
 (परमानंद खुटे) 8.4.2024  
 सहायक भौमिकीविद  
 संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छ.ग.  
 क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

क्रमांक/तक/एन.जी.टी./2024-25/3443

बालोद, दिनांक 30/11/2024

प्रति,

क्षेत्रीय निदेशक,  
क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) भोपाल,  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
परिवेश भवन, पर्यावरण परिसर,  
ई-6 अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

विषय :- माननीय एन.जी.टी. दिल्ली के प्र.क्र./1079/2024 के संदर्भ में फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी जानकारी बाबत।


संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/क्षे.नि.भो./एनजीटी ओ.ए.-1079/2024/1518-1520 दिनांक 25 नवंबर 2024

\*\*\*\*\*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन निवेदन है कि माननीय एन.जी.टी. दिल्ली के प्र.क्र./1079/2024 के संदर्भ में फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी जानकारी चाही गई थी। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्र.क्र./1079/2024 में आवेदक श्री संदीप कासार, ग्राम डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार) को अवगत कराया गया है कि डौण्डीलोहारा स्थित गोदावरी माईन्स, गिधाली व देव माईनिंग कम्पनी के द्वारा फाईन वेस्ट डम्पिंग स्थानीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे कृषि रकबा घट रहा है व किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वर्तमान में निक्को माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्राम गिधाली, विकासखण्ड डौण्डी जिला बालोद में कार्यरत है। उक्त प्रपत्र के संदर्भ में दिनांक 28.11.2024 को ग्राम गिधाली में श्री पी.के.यदु ( वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डौण्डी) एवं आर.आई. श्री मण्डावी सर, पटवारी श्रीमती दुर्गावती मरकाम एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री भीलेन्द्र कुमार साहू की उपस्थिति में फसल निरीक्षण का कार्य किया गया। जिसमें धान के फसल की कटाई हो चुकी थी एवं किसी भी प्रकार की फसल क्षति नहीं हुई है तथा फसल क्षति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या आवेदन किसी सी कृषक से प्राप्त नहीं हुआ। तथा उक्त माईंस से किसी भी तरह का अवशेष खेतों में नहीं आ रहा है, जिससे फसल नुकसान हो।

अतः वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड डौण्डी, संबंधित क्षेत्र आर.आई., हल्का पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत गिधाली के सरपंच एवं सचिव का प्राप्त प्रतिवेदन संलग्न कर आपकी ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।


संलग्न- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखण्ड डौण्डी  
एवं सरपंच ग्राम पंचायत गिधाली से प्राप्त प्रतिवेदन।


  
उप संचालक कृषि 30/11/24  
जिला-बालोद

## निरीक्षण प्रमाण पत्र

माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्र.क्र./1079/2024 में आवेदक श्री संदीप कासार, ग्राम डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद के द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार) को अवगत कराया गया है कि डौण्डीलोहारा स्थित गोदावरी माईन्स, गिधाली व देव माईनिंग कम्पनी के द्वारा फाईन वेस्ट डम्पिंग स्थानीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे कृषि रकबा घट रहा है व किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। वर्तमान में निक्को माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्राम गिधाली, विकासखण्ड डौण्डी जिला बालोद में कार्यरत है।

उक्त प्रपत्र के संदर्भ में उप संचालक कृषि विभाग जिला-बालोद के निर्देशानुसार आज दिनांक 28.11.2024 को ग्राम गिधाली में श्री पी.के.यदु ( वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डौण्डी) एवं आर.आई. श्री मण्डावी सर, पटवारी श्रीमती दुर्गावती मरकाम एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री भीलेन्द्र कुमार साहू की उपस्थिति में फसल निरीक्षण का कार्य किया गया। जिसमें धान के फसल की कटाई हो चुकी थी एवं किसी भी प्रकार की फसल क्षति नहीं हुई है तथा फसल क्षति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या आवेदन किसी सी कृषक से प्राप्त नहीं हुआ। तथा उक्त माईंस से किसी भी तरह का अवशेष खेतों में नहीं आ रहा है, जिससे फसल नुकसान हो।

  
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी  
वरिष्ठ विकासखण्ड-डौण्डी  
डौण्डी जिला-बालोद (छ.ग.)

  
उप संचालक कृषि  
जिला-बालोद (छ.ग.) 30/11/24

निरीक्षण प्रमाण - पत्र

माननीय एन. सी. टी. डाय प्रपत्र - क्र० 1079/2024 में आवेक श्री मंडीप कागार ग्राम - डोंडी लोदारा, जिला - बालोड के डाय केन्द्रीय प्रइषण निम्नण बोर्ड (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन) मंत्रालय भारत सरकार को आवगत कराया गया है कि डोंडी - लोदारा स्थित गोदावरी मार्डिन्स गिद्याली व देव मार्डिनिंग कम्पनी के डाय फार्म वेरर डमिपंग स्थानीय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे कृषि रकवा छर रहा है व किसानों को आविकि क्षति से रहा है। कलमान में निम्को मार्डिनिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्राम - गिद्याली में वि. सं० डोंडी जिला - बालोड में कार्यरत है।

उक्त प्रपत्र के संदर्भ में उपर्युक्त कृषि विभाग बालोड के निरीक्षणानुसार आज दिनांक 28/11/24 को ग्राम - गिद्याली में श्री पी. के. यदु (S.A.O) एवं R.A. श्री मंडावी सर, पटवारी श्रीमती कुविती मरकाम, एवं R.A.E.O श्री श्रीलेन्द्र कुमार साहू की उपस्थिति में फसल निरीक्षण का कार्य किया गया। जिसमें धान के फसल की कटाई हो चुकी थी एवं किसी भी प्रकार की फसल क्षति नहीं हुई है तथा फसल क्षति से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या बोवेन प्रस्त किसी भी कृषक से प्राप्त नहीं हुआ। तथा उक्त प्रार्डिस में किसी भी तरह का अवशेष खेतों में नहीं आ रहा है जिससे फसल नुकसान हो।

*Bhau*  
R.A.E.O  
Bhalo  
28/11/24

*[Signature]*  
R.A.E.O  
28/11/24

*[Signature]*  
28/11/2024  
S.A.O.  
Dandi

ग्राम पंचायत गिद्याली  
वि. सं. डोंडी जिला बालोड (छ.ग.)

Table 2.9: Water Balance for Crushing, Screening &amp; Beneficiation Plant

Sr. No.	Process description	KL/day	Losses / day	Recycled	Remarks
1	Primary wet screen	1400	358	2868	Water Recovered after completing the process and pumped in the process back with addition of 370 KL fresh water per day.
2	Sec Wet screen	990			
3	Tertiary wet screen	540			
4	Hydro cyclone	60			
5	2 no.s dewatering screen	72			
6	screw classifier	44			
7	Flocculant station	120			
8	Dust Separation and Plantation	11	11	0	Losses to ground
9	Drinking and Sanitation	5	1	4	Treatment in portable STP & use of treated effluent in dust suppression & plantation
	<b>Total</b>	<b>3242</b>	<b>370</b>	<b>2872</b>	





Central Pollution Control Board  
Regional Directorate (Central)  
"Parivesh Bhawan"

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal  
EPA Recognised Lab

Test Report : Waste Water (Physico Chemical Parameter)

CUSTOMER COPY Annexure-11  
MASTER COPY F/LAB/06/TR-02  
COPY FOR LAB I/C

Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	WW/24-25/183
Sample Description		Kamta Nala -upstream, Distt. - Balod (CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		02.12.2024 to 05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Temperature	°C	22.5	-	
2	Odour	-	-	-	
3	Appearance	-	-	-	
4	Colour	Pt-Co Scale	-	APHA, 2120-B	
5	Residual Chlorine	mg/L	-	APHA 4500-Cl-B	
6	Dissolved Oxygen	mg/L	7.67	APHA 4500-O-C	
7	pH	pH unit	7.25	APHA, 4500H+B	
8	Specific Conductivity	µmho/cm	208	APHA 2510 B	
9	Suspended Solids	mg/L	9	APHA 2540 D	
10	Total Dissolved Solids	mg/L	119	APHA 2540 C	
11	Total Solids	mg/L	-	APHA 2540 B	
12	Fixed Dissolved Solid	mg/L	-	APHA 2540 E	
13	COD	mg/L	12	APHA, 5220 B	
14	BOD (3 days, 27°C)	mg/L	3	IS 3025, 1993	
15	Chloride	mg/L	24	APHA, 4500-CL-B	
16	Total Alkalinity	mg/L	-	APHA 2320-B	
17	T. Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 2340-C	
18	Ca Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Ca-B	
19	Mg Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Mg-B	
20	Oil & Grease	mg/L	-	APHA 5520-D	
21	Total Kjehdal Nitrogen	mg/L	-	APHA 4500-Norg-C	
22	Turbidity	N.T.U.	-	APHA, 2130-B	
23	Phosphate (as P)	mg/L	-	APHA 4500-P-D	
24	Sulphate (as SO <sub>4</sub> )	mg/L	18	APHA 4500-SO <sub>4</sub> -E	
25	Ammono. Nitrogen (as NH <sub>3</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.4)	APHA 4500-NH <sub>3</sub> -F	
26	Nitrite Nitrogen (as NO <sub>2</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.02)	APHA 4500-NO <sub>2</sub> -B	
27	Nitrate Nitrogen (as NO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 4500-NO <sub>3</sub> B	
28	Fluoride (as F)	mg/L	-	APHA 4500-F-D	
29	Sodium (as Na)	mg/L	-	APHA 3500-Na-B	
30	Potassium (as K)	mg/L	-	APHA 3500-K-B	
31	Chromium (as Cr <sup>+6</sup> )	mg/L	-	APHA 3500-Cr B	
32	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 4500-B-C	
33	Faecal Coliform	MPN/100ml	<1.8	APHA 9221-E	
34	Total Coliform	MPN/100ml	-	APHA 9221-A,B,C	
35	Bioassay Test	% Survival	-	APHA 8910 A-C	
36					
37					
38					

Prepared by:

मिलिन्द कुमार निमिजे / Milind Kumar Nimje  
Scientist-C, Lab Head & Government Analyst  
कीर्तिम प्रयोगशाला / Regional Directorate  
कीर्तिम प्रयोगशाला (राज्य) / Regional Directorate (R.P.)  
Central Pollution Control Board, Bhopal (C.P.C.B.)  
Laboratory Head:



**71**  
Central Pollution Control Board  
Regional Directorate (Central)  
"Parivesh Bhawan"

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal  
EPA Recognised Lab

CUSTOMER COPY  
MASTER COPY F/LAB/06/TR-02  
COPY FOR LAB I/C

Test Report : Waste Water (Physico Chemical Parameter)

Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	WW/24-25/184
Sample Description		Kamta Nala -downstream, Distt. - Balod (CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		02.12.2024 to 05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Temperature	°C	23.2	-	
2	Odour	-	-	-	
3	Appearance	-	-	-	
4	Colour	Pt-Co Scale	-	APHA, 2120-B	
5	Residual Chlorine	mg/L	-	APHA 4500-Cl-B	
6	Dissolved Oxygen	mg/L	7.7	APHA 4500-O-C	
7	pH	pH unit	7.77	APHA, 4500H+B	
8	Specific Conductivity	µmho/cm	245	APHA 2510 B	
9	Suspended Solids	mg/L	6	APHA 2540 D	
10	Total Dissolved Solids	mg/L	153	APHA 2540 C	
11	Total Solids	mg/L	-	APHA 2540 B	
12	Fixed Dissolved Solid	mg/L	-	APHA 2540 E	
13	COD	mg/L	12	APHA, 5220 B	
14	BOD (3 days, 27°C)	mg/L	4	IS 3025, 1993	
15	Chloride	mg/L	26	APHA, 4500-CL-B	
16	Total Alkalinity	mg/L	-	APHA 2320-B	
17	T. Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 2340-C	
18	Ca Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Ca-B	
19	Mg Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Mg-B	
20	Oil & Grease	mg/L	-	APHA 5520-D	
21	Total Kjehdal Nitrogen	mg/L	-	APHA 4500-Norg-C	
22	Turbidity	N.T.U.	-	APHA, 2130-B	
23	Phosphate (as P)	mg/L	-	APHA 4500-P-D	
24	Sulphate (as SO <sub>4</sub> )	mg/L	26	APHA 4500-SO <sub>4</sub> -E	
25	Ammo. Nitrogen (as NH <sub>3</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.4)	APHA 4500-NH <sub>3</sub> -F	
26	Nitrite Nitrogen (as NO <sub>2</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.02)	APHA 4500-NO <sub>2</sub> -B	
27	Nitrate Nitrogen (as NO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 4500-NO <sub>3</sub> B	
28	Fluoride (as F)	mg/L	-	APHA 4500-F-D	
29	Sodium (as Na)	mg/L	-	APHA 3500-Na-B	
30	Potassium (as K)	mg/L	-	APHA 3500-K-B	
31	Chromium (as Cr <sup>+6</sup> )	mg/L	-	APHA 3500-Cr B	
32	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 4500-B-C	
33	Faecal Coliform	MPN/100ml	7.8	APHA 9221-E	
34	Total Coliform	MPN/100ml	-	APHA 9221-A,B,C	
35	Bioassay Test	% Survival	-	APHA 8910 A-C	
36					
37					
38					

Prepared by:

मिलिन्द कुमार निमजे / Milind Kumar Nimje  
विज्ञानिक - वा/वीर प्रसाद एवं सरकारी नियंत्रित  
Scientist C Lab Head & Government Analyst  
क्षेत्रीय निदेशक/Regional Director  
वा/वीर प्रसाद एररा कॉलोनी, भोपाल  
CF  
Lab Head

Laboratory Head



72  
Central Pollution Control Board  
Regional Directorate (Central)  
"Parivesh Bhawan"

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal  
EPA Recognised Lab

Test Report : Waste Water (Physico Chemical Parameter)

CUSTOMER COPY  
MASTER COPY  
COPY FOR LAB I/C  
F/LAB/06/TR-02

Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	WW/24-25/185
Sample Description		Treated water for recycling, NICO Mining Company Pvt Ltd, Gidhali, Distt.-Balod(CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		02.12.2024 to 05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Temperature	°C	22.6	-	
2	Odour	-	-	-	
3	Appearance	-	-	-	
4	Colour	Pt-Co Scale	-	APHA, 2120-B	
5	Residual Chlorine	mg/L	-	APHA 4500-Cl-B	
6	Dissolved Oxygen	mg/L	7.72	APHA 4500-O-C	
7	pH	pH unit	7.83	APHA, 4500H+B	
8	Specific Conductivity	µmho/cm	282	APHA 2510 B	
9	Suspended Solids	mg/L	30	APHA 2540 D	
10	Total Dissolved Solids	mg/L	196	APHA 2540 C	
11	Total Solids	mg/L	-	APHA 2540 B	
12	Fixed Dissolved Solid	mg/L	-	APHA 2540 E	
13	COD	mg/L	8	APHA, 5220 B	
14	BOD (3 days, 27°C)	mg/L	4	IS 3025, 1993	
15	Chloride	mg/L	34	APHA, 4500-CL-B	
16	Total Alkalinity	mg/L	-	APHA 2320-B	
17	T. Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 2340-C	
18	Ca Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Ca-B	
19	Mg Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 3500-Mg-B	
20	Oil & Grease	mg/L	-	APHA 5520-D	
21	Total Kjehdal Nitrogen	mg/L	-	APHA 4500-Norg-C	
22	Turbidity	N.T.U.	-	APHA, 2130-B	
23	Phosphate (as P)	mg/L	-	APHA 4500-P-D	
24	Sulphate (as SO <sub>4</sub> )	mg/L	40	APHA 4500-SO <sub>4</sub> -E	
25	Ammo. Nitrogen (as NH <sub>3</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.4)	APHA 4500-NH <sub>3</sub> -F	
26	Nitrite Nitrogen (as NO <sub>2</sub> )	mg/L	BDL (DL=0.02)	APHA 4500-NO <sub>2</sub> -B	
27	Nitrate Nitrogen (as NO <sub>3</sub> )	mg/L	-	APHA 4500-NO <sub>3</sub> B	
28	Fluoride (as F)	mg/L	-	APHA 4500-F-D	
29	Sodium (as Na)	mg/L	-	APHA 3500-Na-B	
30	Potassium (as K)	mg/L	-	APHA 3500-K-B	
31	Chromium (as Cr <sup>+6</sup> )	mg/L	-	APHA 3500-Cr B	
32	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 4500-B-C	
33	Faecal Coliform	MPN/100ml	-	APHA 9221-E	
34	Total Coliform	MPN/100ml	-	APHA 9221-A,B,C	
35	Bioassay Test	% Survival	-	APHA 8910 A-C	
36					
37					
38					

Prepared by:

मिलिन्द कुमार निमजे / Milind Kumar Nimje  
वैज्ञानिक-1, क्षेत्रीय प्रदूषण एवं सारकारी विश्लेषक  
Scientist-1, Lab Head & Government Analyst  
क्षेत्रीय परीक्षण एवं प्रशासनिक निदेशक  
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण समन्वयक (म.प्र.)  
Central Pollution Control Board, Bhopal (M.P.)

Laboratory Head:



**Central Pollution Control Board**  
**Regional Directorate (Central)**  
**"Parivesh Bhawan"**

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal – 462016

EPA Recognised Lab

Test Report : Waste Water(Instrumentation)

CUSTOMER COPY  
 MASTER COPY F/LAB/06/TR-06  
 COPY FOR LAB I/C

Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	Inst/WW/24-25/183
Sample Description		Kamta Nala -upstream, Distt. - Balod (CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Cadmium (as Cd)	mg/L	-	APHA 3111 B	
2	Chromium Total	mg/L	-	APHA 3111 B	
3	Copper (as Cu)	mg/L	-	APHA 3111 B	
4	Lead (as Pb)	mg/L	-	APHA 3111 B	
5	Nickel (as Ni)	mg/L	-	APHA 3111 B	
6	Zinc (as Zn)	mg/L	0.0203	APHA 3111 B	
7	Iron (as Fe)	mg/L	0.091	APHA 3111 B	
8	Manganese (as Mn)	mg/L	-	APHA 3111 B	
9	Cobalt (as Co)	mg/L	-	APHA 3111 B	
10	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 3111 B	
11	Vanadium (as V)	mg/L	-	APHA 3111 B	
12	Arsenic (as As)	µg/L	-	APHA 3112-B	
13	Mercury (as Hg)	µg/L	-	APHA 3112-B	
14	Selenium (as Se)	µg/L	-	APHA 3112-B	
15	Tin (as Sn)	µg/L	-	APHA 3112-B	
16	Antimony (as Sb)	µg/L	-	APHA 3112-B	
17	α-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
18	β-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
19	γ- BHC (Lindane)	µg/L	-	APHA 6630 B	
20	δ-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
21	Aldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
22	α-Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
23	pp-DDE	µg/L	-	APHA 6630 B	
24	Dieldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
25	β-Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
26	op-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
27	pp-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
28	Monocrotophos (MCP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
29	Dimethoate (DMT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
30	M-Parathion (MPT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
31	Malathion(MLT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
32	Chloropyriphos (CPP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
33	Ethion	µg/L	-	APHA 6630 B	
34					
35					
36					

Prepared by: *[Signature]*

Dr. Anand Kumar Nimje  
 Scientist 'C' Lab Head & Government Analyst  
 State Government / Regional Directorate  
 Central Pollution Control Board, Bhopal  
*[Signature]*  
 Laboratory Head



Central Pollution Control Board  
Regional Directorate (Central)  
"Parivesh Bhawan"

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016

EPA Recognised Lab

Test Report : Waste Water(Instrumentation)

CUSTOMER COPY  
MASTER COPY E/LAB/06/TR-06  
COPY FOR LAB IIC.

Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	Inst/WW/24-25/184
Sample Description		Kamta Nala -downstream, Distt. - Balod (CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Cadmium (as Cd)	mg/L	-	APHA 3111 B	
2	Chromium Total	mg/L	-	APHA 3111 B	
3	Copper (as Cu)	mg/L	-	APHA 3111 B	
4	Lead (as Pb)	mg/L	-	APHA 3111 B	
5	Nickel (as Ni)	mg/L	-	APHA 3111 B	
6	Zinc (as Zn)	mg/L	0.0522	APHA 3111 B	
7	Iron (as Fe)	mg/L	0.011	APHA 3111 B	
8	Manganese (as Mn)	mg/L	-	APHA 3111 B	
9	Cobalt (as Co)	mg/L	-	APHA 3111 B	
10	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 3111 B	
11	Vanadium (as V)	mg/L	-	APHA 3111 B	
12	Arsenic (as As)	µg/L	-	APHA 3112-B	
13	Mercury (as Hg)	µg/L	-	APHA 3112-B	
14	Selenium (as Se)	µg/L	-	APHA 3112-B	
15	Tin (as Sn)	µg/L	-	APHA 3112-B	
16	Antimony (as Sb)	µg/L	-	APHA 3112-B	
17	α-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
18	β-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
19	γ- BHC (Lindane)	µg/L	-	APHA 6630 B	
20	δ-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
21	Aldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
22	α-Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
23	pp-DDE	µg/L	-	APHA 6630 B	
24	Dieldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
25	β -Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
26	op-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
27	pp-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
28	Monocrotophos (MCP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
29	Dimethoate (DMT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
30	M-Parathion (MPT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
31	Malathion(MLT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
32	Chloropyriphos (CPP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
33	Ethion	µg/L	-	APHA 6630 B	
34					
35					
36					

Prepared by:

मिलिन्द कुमार निमजे / Milind Kumar Nimje  
 वैज्ञानिक- 'C', क्षेत्रीय प्रमुख एवं सरकारी विश्लेषक  
 Scientist 'C' Lab Head & Government Analyst  
 क्षेत्रीय निदेशालय / Regional Directorate  
 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)  
 Central Pollution Control Board, Bhopal (M.P.)


Laboratory Head:



Central Pollution Control Board  
Regional Directorate (Central)  
"Parivesh Bhawan"

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal – 462016  
EPA Recognised Lab

Test Report : Waste Water(Instrumentation)



Project Name		NGT Case No. 1079/2024		Test Report No.	Inst/WW/24-25/185
Sample Description		Treated water for recycling, NICO Mining Company Pvt Ltd, Gidhali, Distt.-Balod(CG)		Requisition No.	160
Date of sample collection		29.11.2024		Date	06.12.2024
Date of sample receipt		02.12.2024		Type of sample	Grab
Date of analysis		05.12.2024		Sample collected by	Dr. A Chaturvedi, Sh. R Bandewar
S.No.	Parameters	Unit	Result	Method	
1	Cadmium (as Cd)	mg/L	-	APHA 3111 B	
2	Chromium Total	mg/L	-	APHA 3111 B	
3	Copper (as Cu)	mg/L	-	APHA 3111 B	
4	Lead (as Pb)	mg/L	-	APHA 3111 B	
5	Nickel (as Ni)	mg/L	-	APHA 3111 B	
6	<b>Zinc (as Zn)</b>	<b>mg/L</b>	<b>0.0257</b>	<b>APHA 3111 B</b>	
7	<b>Iron (as Fe)</b>	<b>mg/L</b>	<b>0.412</b>	<b>APHA 3111 B</b>	
8	Manganese (as Mn)	mg/L	-	APHA 3111 B	
9	Cobalt (as Co)	mg/L	-	APHA 3111 B	
10	Boron (as B)	mg/L	-	APHA 3111 B	
11	Vanadium (as V)	mg/L	-	APHA 3111 B	
12	Arsenic (as As)	µg/L	-	APHA 3112-B	
13	Mercury (as Hg)	µg/L	-	APHA 3112-B	
14	Selenium (as Se)	µg/L	-	APHA 3112-B	
15	Tin (as Sn)	µg/L	-	APHA 3112-B	
16	Antimony (as Sb)	µg/L	-	APHA 3112-B	
17	α-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
18	β-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
19	γ- BHC (Lindane)	µg/L	-	APHA 6630 B	
20	δ-BHC	µg/L	-	APHA 6630 B	
21	Aldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
22	α-Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
23	pp-DDE	µg/L	-	APHA 6630 B	
24	Dieldrin	µg/L	-	APHA 6630 B	
25	β-Endos.	µg/L	-	APHA 6630 B	
26	op-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
27	pp-DDT	µg/L	-	APHA 6630 B	
28	Monocrotophos (MCP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
29	Dimethoate (DMT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
30	M-Parathion (MPT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
31	Malathion(MLT)	µg/L	-	APHA 6630 B	
32	Chloropyriphos (CPP)	µg/L	-	APHA 6630 B	
33	Ethion	µg/L	-	APHA 6630 B	
34					
35					
36					

Prepared by:

मिलिन्द कुमार निमजे, Milind Kumar Nimje  
विज्ञानिक-1, लेब प्रमुख एवं सरकारी विश्लेषक  
Scientist-1 Lab Head & Government Analyst  
राज्य (बिहार) / Regional Directorate  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल (CPCB)  
Central Pollution Control Board, Bhopal

Laboratory Head



## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,

नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक 2528/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2024

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/6/2024

### कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी संख्या में गौण/मुख्य खनिज खदानें एवं स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप, फेरो एलाएज प्लांट, रोलिंग मिल आदि उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों से उत्पादित उत्पाद, उत्पन्न अपशिष्ट एवं उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, जिनसे परिवहन के दौरान डस्ट उत्सर्जन की संभावना रहती है, का परिवहन बड़ी मात्रा में सड़क मार्ग से किया जाता है। परिवहनकर्ता वाहनों द्वारा ओवर लोडिंग करने एवं वाहन को उपयुक्त प्रकार से कवर नहीं किये जाने के कारण परिवहन के दौरान प्रदूषण एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं वाहन के पीछे चलने वालों को अत्याधिक असुविधा होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु वाहनों को उपयुक्त प्रकार से कवर किये जाने बाबत निम्न स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार कार्यवाही की जावे।

#### 1. उद्योगों/खदानों/संस्थानों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। जोकि इस प्रक्रिया के पालन हेतु उत्तरदायी रहेगा।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान में परिवहन हेतु वाहनों का समूह चिन्हांकित किया जायेगा। जिसकी सूची एवं पूर्ण विवरण संबंधित खदान/उद्योग/संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा।
- परिवहन करने वाले वाहन से उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहना चाहिए एवं परिवहन के दौरान वाहन में वैध पी.यू.सी. प्रमाण पत्र उपलब्ध रहना चाहिए।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान में तारपोलिन से वाहन कवर करने हेतु एक स्थाई स्थल चिन्हांकित किया जावेगा एवं इसी स्थल पर वाहन को तारपोलिन से कवर करने की कार्यवाही की जायेगी। स्थल पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्था आदि की जावेगी।

#### 2. तारपोलिन से वाहन को ढँकने की प्रक्रिया:-

प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान सुनिश्चित करेगा कि -

- वाहन की बॉडी, जिसे तारपोलिन द्वारा ढँका जाना है, में कोई छिद्र अथवा क्रैक नहीं होना चाहिये, जिससे इसमें भरे जाने वाला मटेरियल परिवहन के दौरान सड़क पर नहीं गिरे।
- वाहन में मटेरियल का भराव इस प्रकार से किया जावे, जिससे बॉडी में न्यूनतम 05 सेंटी मीटर का फ्री बोर्ड रहे। वाहन किसी भी परिस्थिति में ओवर लोड नहीं किया जाना चाहिये।

- तारपोलिन केनवास अथवा उच्च घनत्व पोलीइथलीन की उपयुक्त मोटाई की होनी चाहिये। उच्च घनत्व पोलीइथलीन की तारपोलिन आई.एस. 7903 : 2011 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिये एवं इस पर बी.आई.एस. कोड के प्रावधान अनुसार मार्किंग होना चाहिये।
- तारपोलिन वाटरप्रूफ, वियर रेजिस्टेंट होनी चाहिये। यह कटी-फटी अथवा क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिये। तारपोलिन की मजबूती के लिये किनारे/कोने दोहरी सिलाई युक्त होना चाहिये एवं किनारे-किनारे आवश्यकतानुसार आईलेट्स लगे होने चाहिये, ताकि तारपोलिन को सुविधानुसार बांधा जा सके। कटी-फटी अथवा क्षतिग्रस्त तारपोलिन से कव्हर करना पाये जाने पर इस एस.ओ.पी. का उल्लंघन माना जावेगा।
- यथा संभव वाहन को कव्हर करने के लिये एक तारपोलिन का उपयोग किया जाना चाहिये, ताकि परिवहन के दौरान हवा के कारण तारपोलिन उड़ने की संभावना न रहे। किन्हीं परिस्थितियों में यदि एक ही तारपोलिन का उपयोग संभव न हो, तो दो तारपोलिन का उपयोग पर्याप्त ओव्हर लेप करते हुये किया जा सकता है। परंतु इसमें सावधानी रखी जावे कि परिवहन के दौरान हवा के कारण तारपोलिन उड़ने एवं मटेरियल से प्रदूषण की संभावना न हो।
- तारपोलिन से वाहन के बॉडी के बाहरी न्यूनतम आधे हिस्से को कव्हर कर बांधा जाना चाहिये।
- वाहन को तारपोलिन से कव्हर करने के पश्चात इस प्रकार बांधा जाकर सील किया जाना चाहिए ताकि परिवहन के दौरान वाहन से मटेरियल के बाहर गिरने/उड़ने की संभावना न रहे।
- कव्हर करने के पश्चात वाहन की बाडी के तीनों ओर संबंधित खदान/उद्योग/संस्थान के नोडल अधिकारी का सम्पर्क नम्बर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित करने वाला स्टीकर लगाया जायेगा ताकि उल्लंघन पाये जाने पर इसकी जानकारी संबंधित को दी जा सके। नोडल अधिकारी इस बाबत जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र समस्या का निराकरण सुनिश्चित करेगा।
- प्रत्येक वाहन में परिवहन किये जा रहे मटेरियल से संबंधित वैध दस्तावेज यथा आवश्यकता अनुसार परमिट/पिटपास आदि तथा मटेरियल की मात्रा, मटेरियल पाने वाले का नाम तथा उद्योग/संस्थान आदि जानकारी संबंधी विवरण उपलब्ध रहना चाहिए।
- उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वाहनों को व्हील वाशिंग सिस्टम से गुजारा जाना चाहिए ताकि उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान वाहन के पहियों पर लगी डस्ट साफ हो सके।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु एक चेक लिस्ट तैयार करेगा एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर वाहन चालक चेक लिस्ट अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी हस्ताक्षर कर सिक्युरिटी गेट पर जमा करेगा एवं एक प्रति वाहन के साथ रखेगा। समस्त कार्यवाही संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन को परिसर के बाहर निकलने की अनुमति दी जावेगी।

### 3. उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाही:-

- परिवहन के दौरान वाहन उपरोक्तानुसार तारपोलिन से उपयुक्त रूप से ढका न पाये जाने पर पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन पर संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

- उद्योगों/खदानों/संस्थानों के निरीक्षण के दौरान परिसर में उपरोक्त प्रक्रिया का उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की जावेगी।

उपरोक्त एस.ओ.पी. दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील होगा। संबंधित उद्योगों/खदानों/संस्थानों द्वारा एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं दिनांक 01/08/2024 के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित कर लिया जावे।



सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / /2024

पृ. /मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2024

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि शासन स्तर से परिवहन विभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर/भिलाई-दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में स्थापित संबंधित उद्योगों को उपरोक्तानुसार एस.ओ.पी. के पालन एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था दिनांक 01/08/2024 के पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित करें एवं दिनांक 01/08/2024 से उद्योगों में निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने नियमानुसार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करें।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। निर्देशित है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट मे अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग)



Regional Directorate (Central)

**Central Pollution Control Board**

"Parivesh Bhawan", Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,

Bhopal - 462016

Tel: 0755-2775385/86, Fax: 0755-2775587

EPA Recognized Lab-2015

**TEST REPORT****Ambient / Fugitive Air Analysis Report**

F/LAB/06/TR-03


Sample from:	NGT Case OA 1079/2024 (CZ)		Req. No: 145	Test report No: AAQM/24-25/86
Sample Description:	Sh. Rameshwar Kumar Mankar farm House Gidhali village Distt: Balod (CG)		Registration No.:	AAQM/24-25/86
Date of collection:	28-29.11.2024	Type of sample: grab/composite	Date:	09.12.2024
Date of receipt :	02.12.2024	Sample collected By	Dr. Anoop Chaturvedi & Rameshwar B.	
Date of analysis :	06.12.2024			
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method
1.	Suspended Particulate Matter (SPM) / PM10	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	91	ISC Method No. 501, Page no. 427 - 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989 IS Method No. 5182, (Part -4), 1999
2.	Particulate Matter PM- 2.5	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	57	ISC Method No. 501, Page no. 427 - 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989
3.	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	31.28	IS Method No. 5182, (Part -6), 2006
4.	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	7.11	IS Method No. 5182, (Part -2), 2001
5.	Fluoride	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	--	AS 3580- 13.2- 1991/ 3580.13.3 - 1993, Sodium Acetate method
6.	Ammonia	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	--	EPA -401 3 <sup>rd</sup> Edition 2000 Indo -phenol method
7.	Other Specific Parameters -	$\text{mg} / \text{m}^3$	---	USEPA- 29, 3 <sup>rd</sup> Edition 1998 ( AAS/ Graphite generation) APHA311B

Prepared By:

Lab Head

Authorised Signatory

मिहिर कुमार निम्बे / Mihir Kumar Nimbe  
 वैज्ञानिक-1 / Scientist-1 एवं सरकारी वैज्ञानिक /  
 Scientist-1 / Lab Head & Government Analyst  
 क्षेत्रीय निदेशालय / Regional Directorate  
 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एन.पी.)  
 Central Pollution Control Board Bhopal (M.P.)



Regional Directorate (Central)  
**Central Pollution Control Board**

“Parivesh Bhawan”, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,  
 Bhopal - 462016

Tel: 0755-2775385/86, Fax: 0755-2775587

EPA Recognized Lab-2015

TEST REPORT

**Ambient / Fugitive Air Analysis Report**

F/LAB/06/TR-03

Sample from:	NGT Case OA 1079/2024 (CZ)		Req. No: 145	Test report No: AAQM/24-25/87
Sample Description:	Main Gate of M/s. NICO Mining Company Pvt Ltd Gidhali Distt: Balod (CG)		Registration No.:	AAQM/24-25/87
Date of collection:	28-29.11.2024	Type of sample: grab/composite	Date:	09.12.2024
Date of receipt :	02.12.2024	Sample collected By	Dr. Anoop Chaturvedi & Rameshwar B.	
Date of analysis :	06.12.2024			
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method
1.	Suspended Particulate Matter (SPM) / PM10	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	86	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989 IS Method No. 5182, (Part -4), 1999
2.	Particulate Matter PM- 2.5	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	55	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989
3.	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	32	IS Method No. 5182, (Part -6), 2006
4.	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	8.97	IS Method No. 5182, (Part -2), 2001
5.	Fluoride	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	--	AS 3580- 13.2- 1991/ 3580.13.3 – 1993, Sodium Acetate method
6.	Ammonia	$\mu\text{g} / \text{m}^3$	--	EPA -401 3 <sup>rd</sup> Edition 2000 Indo -phenol method
7.	Other Specific Parameters -	$\text{mg} / \text{m}^3$	---	USEPA- 29, 3 <sup>rd</sup> Edition 1998 ( AAS/ Graphite generation) APHA311B

Prepared By:

Lab Head  
 Authorised Signatory

मिलिंद कुमार निमजे / Milind Kumar Nimje  
 वैज्ञानिक - मा. वि. प्रमुख एवं सरकारी विश्लेषक  
 Scientist 'C' Lab Head & Government Analyst  
 क्षेत्रीय निरीक्षण / Regional Directorate  
 वायुमय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बhopal)  
 Central Pollution Control Board



CUSTOMER COPY
MASTER COPY
COPY FOR LAB NO.

Regional Directorate (Central)  
**Central Pollution Control Board**

“Parivesh Bhawan”, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,  
 Bhopal – 462016

Tel: 0755-2775385/86, Fax: 0755-2775587

EPA Recognized Lab-2015

**TEST REPORT**

**Ambient / Fugitive Air Analysis Report**

F/LAB/06/TR-03


Sample from:	NGT Case OA 1079/2024 (CZ)		Req. No: 145	Test report No: AAQM/24-25/88
Sample Description:	Sarpanchji ka Ghar Bakli Tolo Gidhali Distt: Balod (CG)		Registration No.:	AAQM/24-25/88
Date of collection:	28-29.11.2024	Type of sample: grab/composite	Date:	09.12.2024
Date of receipt :	02.12.2024	Sample collected By	Dr. Anoop Chaturvedi & Rameshwar B.	
Date of analysis :	06.12.2024			
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method
1.	Suspended Particulate Matter (SPM) / PM10	µg / m <sup>3</sup>	72	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989 IS Method No. 5182, (Part -4), 1999
2.	Particulate Matter PM- 2.5	µg/ m <sup>3</sup>	49	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989
3.	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> )	µg/ m <sup>3</sup>	26.07	IS Method No. 5182, (Part -6), 2006
4.	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	µg/ m <sup>3</sup>	6.33	IS Method No. 5182, (Part -2), 2001
5.	Fluoride	µg/ m <sup>3</sup>	--	AS 3580- 13.2- 1991/ 3580.13.3 – 1993, Sodium Acetate method
6.	Ammonia	µg/ m <sup>3</sup>	--	EPA -401 3 <sup>rd</sup> Edition 2000 Indo -phenol method
7.	Other Specific Parameters -	mg / m <sup>3</sup>	---	USEPA- 29, 3 <sup>rd</sup> Edition 1998 ( AAS/ Graphite generation) APHA311B

Prepared By:

Lab Head

Authorised Signatory

मिलिंद कुमार निमजे/Milind Kumar Nimje  
 वैज्ञानिक-सी/विश्वविद्यालय एवं सरकारी विश्वविद्यालय  
 Scientist-C/Lab Head & Government Analyst  
 क्षेत्रीय निदेशक/Regional Directorate  
 पर्यावरण विभाग, बhopal (CZ)



Regional Directorate (Central)  
Central Pollution Control Board

“Parivesh Bhawan”, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony,  
Bhopal - 462016

Tel: 0755-2775385/86, Fax: 0755-2775587

EPA Recognized Lab-2015

TEST REPORT

Ambient / Fugitive Air Analysis Report

F/LAB/06/TR-03

Sample from:	NGT Case OA 1079/2024 (CZ)		Req. No: 145	Test report No: AAQM/24-25/89
Sample Description:	Sh. Rupsingh Jagnayak ji ka Ghar Gramm Gainji Distt: Balod (CG)		Registration No.:	AAQM/24-25/89
Date of collection:	28-29..11.2024	Type of sample: grab/composite	Date:	09.12.2024
Date of receipt :	02.12.2024	Sample collected By	Dr. Anoop Chaturvedi & Rameshwar B.	
Date of analysis :	06.12.2024			
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method
1.	Suspended Particulate Matter (SPM) / PM10	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	89	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989 IS Method No. 5182, (Part -4), 1999
2.	Particulate Matter PM- 2.5	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	54	ISC Method No. 501, Page no. 427 – 439, 3 <sup>rd</sup> ED. 1989
3.	Nitrogen Dioxide (NO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30.44	IS Method No. 5182, (Part -6), 2006
4.	Sulphur Dioxide (SO <sub>2</sub> )	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	6.30	IS Method No. 5182, (Part -2), 2001
5.	Fluoride	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	--	AS 3580- 13.2- 1991/ 3580.13.3 – 1993, Sodium Acetate method
6.	Ammonia	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	--	EPA -401 3 <sup>rd</sup> Edition 2000 Indo -phenol method
7.	Other Specific Parameters -	$\text{mg}/\text{m}^3$	---	USEPA- 29, 3 <sup>rd</sup> Edition 1998 ( AAS/ Graphite generation) APHA311B

Prepared By:

Lab Head

Authorised Signatory

मिहिर कुमार निमजे / Mihir Kumar Nimje  
वैज्ञानिक-सी/सीए प्रमुख एवं सरकारी विश्लेषक  
Scientist 'C' Lab Head & Government Analyst  
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/भोपाल (उ.प्र.)  
Regional Pollution Control Board Bhopal (U.P.)

Date (YYYY-MM)	AAQMS_1 PM10 (ug/m3) -- Normalized U	AAQMS_1 PM2.5 (ug/m3) -- Normalized U	AAQMS_1 RH (%) -- Normalized U	AAQMS_1 NO (ug/m3) -- Normalized U
Avg	47.59	21.24	59.73	2.62
Min	18.72	4.91	48.06	1.27
Max	99.27	50.54	67.2	3.99
Geom.Mean	47.59	21.24	59.73	2.62
Median	40.69	15.13	61.84	2.58
Mode	33.5	4.91	64.74	2.2
Std.Deviation	29.12	16.27	7.75	0.94
Prescribed Standard	None	None	None	None
First Max occurred at	2024-11	2024-11	2024-07	2024-11
First Min occurred at	2024-07	2024-07	2024-06	2024-06
Valid Data Points	6	6	6	6
Total Data Points	6	6	6	6
Data Availability %	100	100	100	100
Uncertainty	0	0	0	0
2024-06	47.88	16.98	48.06	1.27
2024-07	18.72	4.91	67.2	2.2
2024-08	33.5	13.29	66.14	2.96
2024-09	27.32	13.23	64.74	2.2
2024-10	58.82	28.49	58.95	3.08
2024-11	99.27	50.54	53.29	3.99



## Geosphere Industries Private Limited (Formerly known as Godawari Natu

Report Type: Average Report- Static Details and Interval: month | Time Range : 2024-06-01 09:00:00 to 20

Report Created by glensAdmin on 2024-11-28 18:53:38

AAQMS_1 BP (mmHg) -- Normalized U	AAQMS_1 AT (C) -- Normalized U	AAQMS_1 WD (deg) -- Normalized U	AAQMS_1 NO2 (ug/m3) -- Normalized U
559.85	21.6	114.51	11.57
555.93	18.01	61.44	4.93
566.02	24.99	159.01	24.51
559.85	21.6	114.51	11.57
558.93	21.7	122.44	9.5
555.93	18.01	65.22	4.93
3.97	2.22	43.03	7.19
None	None	None	None
2024-11	2024-06	2024-07	2024-11
2024-06	2024-11	2024-11	2024-07
6	6	6	6
6	6	6	6
100	100	100	100
0	0	0	0
555.93	24.99	156.52	6.97
556.55	21.19	159.01	4.93
562.75	21.65	130.87	7.1
557.43	21.74	114	11.9
560.44	22.01	65.22	14.01
566.02	18.01	61.44	24.51



ural Resources Pvt.Ltd.)

24-11-28 23:59:00

AAQMS_1 RF (mm) -- Normalized U	AAQMS_1 SR (W/mt2) -- Normalized U	AAQMS_1 SO2 (ug/m3) -- Normalized U	AAQMS_1 NOx (ug/m3) -- Normalized U
0.26	55.76	9.99	14
0.02	29.4	3.24	7.09
0.59	91.69	16.8	27.66
0.26	55.76	9.99	14
0.21	53.33	9.78	12
0.2	48.45	3.24	7.09
0.24	20.31	6.49	7.67
None	None	None	None
2024-07	2024-06	2024-08	2024-11
2024-11	2024-11	2024-09	2024-07
6	6	6	6
6	6	6	6
100	100	100	100
0	0	0	0
0.2	91.69	14.58	8.17
0.59	48.45	16.19	7.09
0.21	54.83	16.8	9.97
0.5	58.34	3.24	14.04
0.03	51.83	4.16	17.07
0.02	29.4	4.98	27.66



AAQMS_1 WS (m/s) -- Normalized U	AAQMS_1 CO (mg/m3) -- Normalized U
-------------------------------------	---------------------------------------

0.37	0.57
0.19	0.2
0.58	1.21
0.37	0.57
0.37	0.47
0.58	0.34
0.15	0.36
None	None
2024-06	2024-11
2024-11	2024-07
6	6
6	6
100	100
0	0
0.58	0.34
0.48	0.2
0.39	0.37
0.35	0.57
0.21	0.73
0.19	1.21





# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालोद

(फौव्वारा चौक, पुराना जिला चिकित्सालय भवन, भूतल, बालोद)

E-mail ID- cmobalod@gmail.com



क्रमांक/स्था./विज्ञ./2024/5586  
प्रति,

बालोद, दिनांक 29/11/2024

क्षेत्रीय निदेशक,  
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य) भोपाल,


विषय :- विकासखण्ड डौण्डीलोहारा में स्थित गोदावरी माइंस, गिधाली व माइनिंग कंपनी के संचालन से वायु प्रदूषण के संबंध में जानकारी बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र फा.नं.: क्षे.नि.भो./एनजीटी ओ.ए.-1079/2024/1521-1523 दिनांक 25.11.2024।

—000—


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रानुसार माननीय एनजीटी द्वारा प्र.क्रं. 1079/2024 में आवेदक श्री संदीप कसार, ग्राम-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद द्वारा प्राधिकरण को डौण्डीलोहारा स्थित गोदावरी माइंस, गिधाली व देव माइनिंग कंपनी के संचालन से क्षेत्र में वायु प्रदूषण व इसमें उपस्थित बारीक लौहकण के कारण आमजन का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा है के संबंध में अवगत कराया गया है।

अतः उक्त संबंध में लेख है कि गोदावरी माइंस गिधाली व देव माइनिंग कंपनी विकासखण्ड डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद में संचालित है, चूंकि डौण्डीलोहारा वि.ख. इस माइनिंग क्षेत्र के समीप में स्थित होने के कारण माइनिंग द्वारा निकाली गई मिट्टी सड़क के आस-पास डाला गया है। वर्तमान में वायु प्रदूषण के संबंध में अध्ययन नहीं किया गया है। अतः उक्त विकासखण्ड में वायु प्रदूषण से संबंधित घटना इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं है एवं वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव होने संबंधी जानकारी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बालोद (छ.ग.)  
बालोद, दिनांक 29/11/2024

पृ. क्रमांक/स्था./विज्ञ./2024/5587  
प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर, जिला-बालोद को सादर सूचनार्थ।
02. कार्यालयीन प्रति।

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बालोद (छ.ग.)

## कार्यालय ग्राम पंचायत गिधाली

### जनपद पंचायत डौंडी जिला बालोद (छ.ग.)



प्रा.पं./2023.24 गिधाली

दिनांक 03/07/2023

ज्ञापन

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार,

दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ.ग.)

विषय :- ग्राम गिधाली, स्थित शासकीय भूमि (घांस मद ) की सीमांकन सर्वे करने बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत गिधाली के ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भूमि (घांस मद ) की सीमांकन सर्वे कर चिन्हांकन किए जाने ग्राम पंचायत की साधारण सभा की बैठक दिनांक 03/03/2023 प्र.क. 08 में प्रस्ताव किया गया एवं दिनांक 21/06/2023 को आयोजित ग्राम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा प्र. क. 23 में ग्राम गिधाली प.ह.नं. 30 तहसील डौंडी जिला बालोद स्थित शासकीय (घांस मद ) भूमि को सीमांकन सर्वे कर चिन्हांकित किए जाने सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया है।

अतः महोदय जी को ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भूमि (घांस मद ) की सीमांकन कर चिन्हांकन की कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन सादर संप्रेषित है।

टीप :- 1. आवेदन के साथ ग्राम पंचायत कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपी संलग्न है।

2 आवेदन के साथ ग्राम सभा की कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपी संलग्न है।



ग्राम पंचायत गिधाली  
वि.ख. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

सरपंच  
ग्राम पंचायत गिधाली  
वि.ख. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

# कार्यालय ग्राम पंचायत – गिधाली

जनपद पंचायत – डौंडी, जिला बालोद, (छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

बैठक दिनांक 03/03/2023

क्र.	उपस्थित पंचो के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचो के हस्ताक्षर
1	श्रीमति बसंती ठाकुर	ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भुमि (घांस मद ) की सीमांकन करने बाबत।	आज दिनांक 03/03/2023 को ग्राम पंचायत गिधाली की साधारण सभा के बैठक में उपस्थित सभी पंचो द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत गिधाली के ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भुमि का सीमांकन सर्वे कर चिन्हाकन किये जाने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया।	प्र. क. 08 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।	सही अस्पष्ट
2	श्रीमति अमीना बाई				
3	श्रीमान उपेंद्र				
4	श्रीमान रोहित कुमार				
5	श्रीमति अश्वनी मुआर्य				
6	श्रीमति राजीम बाई				
7	श्रीमान टिकेन्द्र साहू				
8	श्रीमति बिशाखा बाई				
9	श्रीमति रूपलता				
10	श्रीमति कुलेश्वरी				
11	श्रीमान मनोज कुमार				
12	श्रीमति कांती बाई				
13	श्रीमान धर्मेद कुमार				
14	श्रीमान ललित कुमार				
15	श्रीमति कन्हन बाई				



*(Signature)*  
सचिव

ग्राम पंचायत गिधाली  
वि.सं. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)

*(Signature)*  
सरपंच


ग्राम पंचायत गिधाली  
वि.सं. डौण्डी, जि. बालोद (छ.ग.)


# कार्यालय ग्राम पंचायत – गिधाली

जनपद पंचायत – डौंडी, जिला बालोद, (छ.ग.)

क.	ग्राम सभा उपस्थित सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य क. 1. श्रीमति बसंती ठाकुर सरपंच से लेकर सदस्य क. 88 श्री बलेन्द्र कुमार तक उपस्थित रहे।  कुल सदस्य 88	प्र.क. 23  ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भूमि (घांस मद ) की सीमांकन बाबत।	प्र. क. 23  आज दिनांक 21/06/2023 को ग्राम पंचायत गिधाली की ग्राम गिधाली में ग्राम सभा के बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 03/03/2023 प्र.क. 08 में ग्राम पंचायत गिधाली के ग्राम गिधाली स्थित शासकीय भूमि का सीमांकन सर्वे कर चिन्हांकन किये जाने प्रस्ताव पारित किया गया है जिसे चर्चा कर ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।	प्र. क. 23 सर्वसम्मति से प्रस्ताव कर अनुमोदन किया गया।	सही अस्पष्ट



  
 ग्राम पंचायत गिधाली  
 वि.खं. डौंडी, जि. बालोद (छ.ग.)

  
 सरपंच  
 ग्राम पंचायत गिधाली  
 वि.खं. डौंडी, जि. बालोद (छ.ग.)

# भारतीय जनता पार्टी



## मण्डल डौण्डी, जिला बालोद छ.ग.

टिकेन्द्र कुमार साहू

महामंत्री भाजपा मंडल डौण्डी जि.बालोद छ.ग., अध्यक्ष परिक्षेत्र साहू समाज कुसुमकसा, उप सरपंच ग्राम पंचायत गिध

प्रति

दिनांक 22.10.2024

श्रीमान जिलाधीश महोदय

जिला-बालोद (छ.ग.)

विषय- निक्को माईनिंग कंपनी के द्वारा भू-जल श्रोत (बोर) से उद्योग संचालन पर रोक लगाने बाबत।

महोदय जी,

ग्राम पंचायत गिधाली ज.पं. डौण्डी जिला बालोद में निक्को माईनिंग कंपनी 92 वर्षों से स्थापित है और संचालित हो रहा है जो कि इतने वर्षों में आज तक अपनी स्वयं के उद्योग चलाने हेतु पानी की व्यवस्था नहीं किया गया है और इसके पूर्व में ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किया गया था जिसमें केशला नाला का उल्लेख किया गया था मगर नाला में पानी नहीं रहता और ग्राम पंचायत गिधाली के बिना अनुमति के निक्को माईनिंग कंपनी के द्वारा दर्जनों उच्च गहराई बोर खनन किया गया है।

और उच्च बोर मशीन लगाकर रात दिन 24 घंटे भू-जल श्रोत का दोहन किया जा रहा है और पूर्व में आसपास के किसानों के बोर से भी पानी लिया जाता है जो कि औद्योगिक नियम के अनुसार सही नहीं है एवं आनेवाले समय में कृषि कार्य एवं पेय जल की विकराल समस्या उत्पन्न करता है। अतः निक्को माईनिंग कंपनी गिधाली में चल रहा भू-जल श्रोत के दोहन को तुरंत रोक लगाया जाए और कंपनी पर उचित कार्यवाही किया जाए।

टिकेन्द्र साहू

आवेदक

टिकेन्द्र कुमार साहू

महामंत्री भा.ज.पा.मंडल डौण्डी

जिला बालोद (छ.ग.)

प्रति

श्रीमान परिवहन अधिकारी (R.T.O)  
परिवहन विभाग  
जिला-बालोद (छ.ग.)

विषय- अतिरिक्त (क्षमता से अधिक) ओवर लोड गाडियों पर शक्त कार्यवाही करने बाबत।

महोदय जी,

ग्राम पंचायत गिधाली ज.पं. डौण्डी जिला बालोद में निक्को माईनिंग कंपनी 12 वर्षों से स्थापित है और संचालित हो रहा है जो कि कंपनी से निकलने वाली अपशिष्ट पदार्थ (खराब मटेरियल) को बाहर फेकने के लिए निक्को माईनिंग कंपनी ग्राम गिधाली के द्वारा हाईवा 10 चक्का एवं 12 चक्का भार साधक गाडी में 30 से 45 टन तक लेकर परिवहन किया जा रहा है जिससे अधिक लोड होने के कारण गाडीयों खराब होकर जगह-जगह खडी रहती है जिसके कारण रोड एक्सीडेंट हो रहा है और निक्को माईनिंग कंपनी के पास मुख्य सडक के दोनों ओर गाडी खडी रहती है जिसके कारण आने जाने में भारी कठिनाई हो रही है।

अतः महोदय जी से सादर निवेदन है कि जन मानस कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही कर समस्या से निजात दिलाने की कृपा करें।



टिकेन्द्र साहू  
आवेदक

टिकेन्द्र कुमार साहू  
महामंत्री भा.ज.पा.मंडल डौण्डी  
उप सरपंच ग्राम पंचायत गिधाली

क द्वारा किया गया अवयव कब्जा का हटाकर प्राणाना का प्रयोग किया जाय।

8  
22/03/24

टिकेन्द्र साहू  
आवेदक

टिकेन्द्र कुमार साहू  
महामंत्री भा.ज.पा.मंडल डौण्डी  
उप सरपंच ग्राम पंचायत गिधाली